

REGD. NO. D. L.-33004/99

सं. 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2003/वैत्र 7, 1925 No. 36] NEW DELHI. FRIDAY, MARCH 28, 2003/CHAITRA 7, 1925

> राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना नई दिल्ली, 27 मार्च, 2003

सं. 9-12/2002/रस्त्रशिप.— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषंद् अधिनियम 1993 को धारा 32(2)(ग) के साथ पठित धारा 10 (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, परिषद् में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य सचिव से इतर सभी पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए एतदुद्वारा निम्न विनियम बनाती है :-

(1) लघु शीर्ष और प्रारम्भ

1.1 ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भर्ती विनियम 2003 कहलाएंगे ।
 1.2 ये विनियम उनके अधिसूचित किए जाने की तारीख से लागू होंगे ।

- (2) पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान
 - 2.1 पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और तत्सम्बधी वेतनमान इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के खाना 2 से लेकर खाना 4 तक में थानिर्दिष्ट होंग ।
- (3) भर्ती पद्धति, आयुसीमा और अन्य अर्हताएं आदि
 - 3.1 उपर्युक्त परों के सम्बन्ध में भर्ती पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले उक्त अनुसूची के खाने 5 से लेकर खाने 14 में यथानिर्दिष्ट होंगे ।
 - 3.2 भारत सरकार में समूह 'क' पदों के समकक्ष पदों पर की जाने वाली भतियां भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होंगी ।
 - 3.3 सीधी भर्ती के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों के सम्बन्ध में आयुसीमा में 35 वर्ष तक छूट दी जा सकेगी ।

892 G1/2003-f

- 3.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में यदि चयन के दौरान किसी समय राष्ट्रीय अध्यापक शिंधी परिषद के अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव से युक्त इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के समुचित संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है, तौं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के विवैकानुसार अनुभव सम्बधी अर्हताओं में ढील दी जा सकती है ।
- 3.5 संविदा पर भर्ती पर विचार करते समय अनुसूची के खाना 12 में निर्धारित वेतनमाम में सेवा की अपेक्षित अवधि की शर्त लागू नहीं होगी ।
- 3.6 स्थानीय रोजगार कार्यालय से नाम आमंत्रित करके सीधी भर्ती पर पद भरते समय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के ऐसे कर्मचारियों को भी विचार किए जाने के लिए अवसर दिया जाएगा जो कि भर्ती नियमावली में निर्धारित पात्रता की अईताएं पूरी करते हों ।
- (4) अपात्रता
 - 4.1 कोई भी ऐसा घ्यकिंत
 - (क) जिसने किंसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका जीवन-साथी जीवित है विवाह कर लिया है अथवा विवाह का करार कर लिया है; अथवा
 - (ख) जीवन-साथीं के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा करने का करार कर लिया है ।

उपर्युक्त पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा ।

लेकिन शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष इस बारे में सन्तुष्ट हैं कि इस तरह का विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष के मामले में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमत्य है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रावधान से छूट दे सकती है।

- (5) सेवा का भावी अनुरक्षण
 - 5.1 इन विनियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व मौजूद किन्हों प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ता के आधार पर नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति उनके द्वारा धारित मूल पदों पर बने रहेंगे ।
 - 5.2 इन विनियमों के अधिसूचित किए जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में सभी भतियां केवल इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी ।

(6) ढील देने की शक्तित

- 6.1 जब अध्यक्ष की अनुसंसा पर, परिषद् का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा बचित है तो वह पदों अथवा व्यक्तियों के किसी भी वर्ग अश्रवा श्रेणी के सम्बन्ध में इन विनियमों के प्रावधानों में ढील दे सकती है और ढील देने के कारणीं की लिखित रूप में अभिलेखबद्ध किया जाएगा ।
- (७) व्यावृत्ति
 - 7.1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व-सैनिक तथा व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के मामले में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों, आयुसीमा में ढील तथा अन्य रिमायतों पर इन विनियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(8) निवर्चन

8.1 इन विनियमों के निवर्चन से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न के बारे में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

> एस. के, रॉय, म्रदस्य-सचिव [विज्ञाप¶]]]/IV/131/2002/असा,]

सौधी भर्तों सौधी भर्तों के के लिए लिल अपेक्षित					8	नहों लागू नहों					-			
भ भ भि	आयुस्			±	٢	लागू नहों								
कया केन्द्रीय सौधी भा सिविल सेवा (पॅन्नन के लिए	नियमवर्ता) 1972 व	अधीन सेवा के	जोदे गए वर्षो का	लाभ अनुमत्य है	6	लागू नहीं					•			
क्या चयन योग्यता अथवा चयन एंव	वरिष्ठता अथवा	गैर-चयनात्मक पद			5	लागू नहीं						t		
देतनमान					4	전 12,000-375-16500*		*ये पद रीडरों के लिए	लागू यूजौसौ वेतनमानों	में रखे जाएंगे बशतें कि	इनके धारक एनसोटीई में	कार्यभार संभालने से पूर्व	यूजीसी वेतनमानों में	์ 1 - 1
वगीकरण					ĥ	समूह ' क '	गैर-मंत्रालयौ							
पदों की संख्या					7	7(2003)*	कार्यभार के	अनसार	्र परितर्तनीय					
पद का नाम					-	उपसन्दिव/क्षेत्रीय	निरंशक							

ſ

अनुसूची

के लिए भर्तो विनियम

उपसचिव/क्षेत्रीय निदेशक के पद

ł

• 1

- 1 0-

414

4

••

1

परिस्थितियां जिनमें भर्तां के समय संघ लोक सेवा आयोग पर विचार किया जाएगा	14	तागू नहीं
विभागीय पदोन्नति समिति का गठन	13	लागू नहीं
परिनोक्षा को अवधि भर्तों की पद्धति क्या सीधी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ विलयन यदि कोई हो तो भर्तां अथवा परोन्नति अच्चत्ना द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड प्रतिनियुक्ति/विल्य द्वारा विनकी परोनति/ प्रतिनियुक्ति/ तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा विलयन किया जाएगा भरे जाने वाले पदों का प्रतिस्त	12	प्रतित्तिमुक्तित द्वारा (अल्पकाल्तीन संकित्त प्रहित) केन्द्रीय / राज्य सरकारों / सरकारों क्षेत्र के उद्यमों/सांनिधिक, अर्द्धसरकारी, स्वायत या किसी अन्य संगठन के ऐसे अधिकारी (ज) सं भाइप्रय पर्दो पर नियमित आधार पर कार्यरत हो, आधार पर कार्यरत हो,
भर्तों की पद्धति क्या सीधी भर्तां अथवा परोन्तति अच्खा प्रतिनियुंक्त/विल्यन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतिथो द्वारा भरे जाने वाले पर्दों का प्रतिश्वत	11	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित)
परिवोक्षा को अवधि यदि कोई हो तो	10	लाग, नहीं
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा श्रीष्ठिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तितयों की रक्षा में भी लागू होंगी	6	निर्म नहीं

÷

5

· - _____

Ĺ

		 										<u></u>		KAC	MUDI	NARY	<u> </u>			1	PART	<u>III —</u>
के बाद उस ग्रेड में 5 वर्ष	की सेवा कर ली हों, तथा	(ख)जो निम्न अहताए/अनुभव	रावते हो:	(i) विभिन शिक्षा निदेशालयों,	एससीईआरटी, केवीएस,	एनबीएस अथवा ऐसी	किसो स्कूली/औशिक	प्रणाली में शैंक्षिक	प्रशासन का अनुभव	(ii) सूचना और संचार	प्रौद्योगिकी के प्रयोग का	ज्ञान जैसे कि डाटा बेस	प्रबन्ध सम्भालना तथा	आफ-लाइन और	आन-लाइन इलेक्ट्रोनिक	संसाधनों का प्रयोग	किंन्द्रीय साकार/राज्य साकार	के उसी अथवा किसी अन्य	संगठन/विभाग में इस नियुक्तित	से तत्कालपूर्व धारित किसी	संबर्गबाहय पर में प्रतिनियुक्तित	को अवधि (अल्पकालीन
		 					-															

. 1

1

÷

हत भवाध से अधिक ते अधिक की सहमति से अधिक हारा हारा	त सहित) ग सहित) प्राप्ति की 56 वर्ष से -
संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति को अवधि सामान्यत: 4 वर्ष से अधिक नहों होगी जिसे सेवाएं उथार देने वाले संगठन को सहपति देने वाले संगठन को सहपति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में	अधिकतम आयुसीमा (अल्पकातोन संविदा सहित) आवेदन पत्रों को प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष अधिक तहों होग्गे। -

:

	ला गू नहीं		ल ग् रू नहीं								•							
8		4						দ্র		Ť								
2	लागू नहों		अध्यक्ष - ताष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा	ध्यक्ष	उपाध्यक्ष - राष्ट्रीयं अध्यापक	- सदस्य	- सदस्य	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	का एक प्रतिनिधि - सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने	वाला एक विश्वेषत्त - सदस्य	ति/अनुसूचित	सदस्य जिसे	नामित किया	रस्य	ŗ		
9	लागू नहीं	13	<u>।</u> अध्यक्ष - ताष्ट्र	परिषद - अध्यक्ष	2. उपाध्यक्ष - 7	शिक्ष्म परिषर - सदस्य	3. सदस्य सचिव - सदस्य	4. मानव संसाधन	का एक प्रति	5. अध्यक्ष द्वारा	वाला एक वि	6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित	जनजाति का सदस्य जिसे	अभ्यक्ष द्वारा नामित किया	जाएगा - सदस्य			
¢ 		-						इस	यमित				नित्तों		ett.	वित्	म	
5	चयन एवं वरिष्ठता			राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा	परिषद में ऐसे अनुभाग	अधिकारियों / कार्यक्रम	अधिकारियों तथा वैयतिक	सहायकों मे से जिन्होंने इस	ग्रेड में 8 चर्ष की नियमित	सेना पूरी कर ली हो			टिप्पणी : जब ऐसे कनिष्चों	को पदोनति पर विचार	किया जा रहा हो जिन्होंने	अपनी अर्हक सेवा पूरी कर	ली है, उनके वरिप्ठों पर	
	15,200* नि के जाएंगे धारक रिभात रूखोसी	12	पदोर्नति	साम्ट्रीय अ	परिषद मे	अधिकारि	अधिकारि	सहायकों	ग्रेड में <u>।</u>	सेवा पूरी			टिप्पणी	को पदोन	किया ज	अपनी अ	लो है.	
	रु 10,000-325-15,200* *ये पर लेक्चरों के लिए लागू यूज़ीसी वेतन्मानों में रखे जाएंगे बशतें कि इनके धारक एनसीटीई में कार्यभात संभालने से पूर्व यूज़ोसी संभालने से पूर्व यूज़ोसी			ओर ऐसान होने पर	प्रतिनियुक्ति द्वास	तीन संविदा		द्वारा										
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	समूह 'क' मंत्रालयी	11	50% पर	अप्रे हिंस	प्रतिनियुकि	(अल्पकाल	सहित)/तथा 50%	प्रतिनियुकि										
2	14(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	10	लागू नहीं															
	अबर सचिव/अनुसंधान अधिकारी	6	लागू नहीं															

1

ł


1

अवर सचिव/अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II]-SEC. 4]

1



1111111111111111111111111111111111111	(i) ऑकि मूल संलगं / विभाग में मानुरम पर्ता मर नियामित आधार पर कामंतन हो; अथवा (ii) जिल्होंने मूल संवर्ग/विभाग में ग्रेड में नियमित के बाद उस नियमित आधार पर नियमित आधार पर नियमित आधार पर नियमित आधार पर नियमित आधार पर नियमित आधार पर नियमित के बाद उस संवर्ग/विभाग में ग्रेड में है ह डाठा-10500 अथवा संवर्ग/विभाग में ग्रेड में नियमित आधार पर नियमित के बाद उस ने देखा कर दी है, तथा	 (1) जॉक मूल संलग / रिमाग में साङ्घ्य पर्ता पर निगतिन आधार पर कार्यरत हो; अथवा (1) किल्होंने पूल संलग्री मूल संलग्री भाग में ग्रेड में निर्वाति सेवा कर सी निर्वाति सेवा कर सी निर्वाति सेवा कर सी सिंगुरिक्त के बार उस संलग्रीतिभाग में ग्रेड में र 6500-10500 अपवा सालुल्य सेल-मान में निर्वाति के बार उस संतर्हा सेल-मान में निर्वाति के बार उस संतर्हा सेल-मान में निर्वाति के बार उस
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	 (1) जोकि मूल संलग / विभाग में सादृश्य पर्ल पर नियमित आधार पर कार्यरत हो; अथवा (1) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में ग्रेड में र 8000-13500 अथवा समतुत्य वेतनमान में नियमित आधार पर तियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित आधार पर सियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेना कर ली हो; तथा नियमित सेना कर ली हो; तथा 	(i) ऑफि मूल संलग्/ विभाग में सादुरम पर्ल कायंतत हो; अथवा कायंति हो; अथवा (i) जिंबहोंने मूल संवर्गतिभाग में भ्रेड में क 8000-13500 अथवा स्वत्यान के बाद उस नियुक्ति के बाद उस नियुक्ति के बाद उस हो; अथवा संवर्गतिभाग में ग्रेड में है 6500-10500 अथवा स्वतुत्त्य केतमान में नियसित आधार पर नियुक्ति के बाद उस नियसित भेवा कर ली हो; तथा
	 (i) जोकि मूल संलग दिश्वाग में सादृश्य पर नियमित आध कार्यरत हो, आश्व (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में संवर्ग/विभाग में नियमित अग्धार र नियमित के बात ग्रेड में 5 वर्ष व नियमित सेवा कर हो, अथवा (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में संवर्ग/विभाग में संवर्ग/विभाग में नियमित के बात नियमित के बात नियमित सेवा कर नियमित सेवा कर हो, तथा 	 (i) जोकि मूल संवर्ग दिभाग में सादुरभ पर तियमित आप कार्यरत हों, अथव संवर्ग/विभाग में . (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में . तियमित अगथा . तियमित सेवा का हो, अथवा (iii)जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में . र. 6500-10500 समतुल्य वेत-मान तियमित सेवा का हो; तथा

•

m.

÷

													-	-									-
та сталиция и продоктивности и продоктивности и продоктивности и продоктивности и продоктивности и продоктивно В сталиция и продоктивности и продоктивности и продоктивности и продоктивности и продоктивности и продоктивности	रखते हों :	(i) विभिन्न शिक्षा	निदेशालयों,	एससीईआरटी,	केवीएस, एनवीएस	अथवा ऐसे किसी	स्कूलो/भैधिक	प्रणाली में शैंसिक	प्रसासन का अनुभव	(ii) सूचना और संचार	प्रौद्योगिकरे के प्रयोग	का ज्ञान जेसे कि	डाटा बेस प्रबन्ध	सम्भालना तथा	आफ-लाइन और	अगन-लगडून	इलेक्ट्रोनिक संसाधनों	का प्रयोग	किन्द्री य सरकार/राज्य	सरकार के उसी अथवा	किसी अन्य संगठन/विभाग	में इस नियुक्ति से	दत्कालपूर्व धारित किसी
					•																		

_

12	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINAR	Y		[PART III-SEC. 4
			33	लागू नहीं
	•	ŕ	7	लागू नहीं
	ਬੱਚੇ ਹੁੰ ਤੁਜ਼ੂ	के पद के लिए	9	लागू नहों
संवर्गबाह्य पर में प्रतिनियुक्ति कौ अवधि	(अल्पकालीन संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगो जिसे संचाएं उथार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक बढ़ाकर अधिक से अधिक वढ़ाकर अधिक से अधिक वढ़ाकर अधिक से अधिक नियुकित के मामले में नियुकित के मामले में नियुकित के मामले में नियुकित के मामले में आधिकतम आयुसीमा आवेदन पत्रों की प्रापि की आवेदन पत्रों की प्रापि की आवेदन पत्रों की प्रापि की आवेदन नहीं होगो] ।	कार्यक्रम अधिकारी	Ś	० चयन एवं बरिष्ठता
संब	파. 밝 믦. 영, 않 데, 파 릭 웹 뷰 및 밝 왕 왕 왕 (원) 	अनुभाग अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी के	ব	₹ 6500-200-10500
P P	•	ਸੂ ਦ	Ś	समूह 'ख' मंत्रालयी
•			3	12(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
	•			अनुभाग अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी

9	10	11	12		. 13	14
9 गू नहीं	ा0 लगगू नहीं	11 (i) 50% पदोम्नति द्वारा तथा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा साहत) (ii) 50% सहायकों, आशुलिपिक ग्रेड ग तथा तकनीकी सहायकों की सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से	(i) पदोन्नति राप्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कार्यरत ऐसे सहायक जिन्होंने इस ग्रेड में छः वर्ध की सेवा पूरी कर लो है ।	1. 2. 3. 4. 5.	सरस्य सचिव - अध्यक्ष उप सचिव (प्रशासन) - सदस्य सदस्य सचिव द्वारा नामित किए जाने वाला एक विशेषज्ञ -सदस्य अवर सचिव (स्थापना / प्रशासन)- सदस्य	14 लागू नहीं

٦.

8 a

í

(iii) प्रातीमयुक्तति (अल्प कार्त्तान संवित्त सहित) कंडीय / राज्य सरकार्ग / सरकारी कंडीय / राज्य सातिषक अर्द्धसरकारी, स्वायत या किसी अन्य संगठन के ऐसे अभिकारी (त) (त) जोकि मूल सेवा / विपान में सादृश्य पदो पर निर्वापित आधार पर कार्यरत हो; अपवा (ii)विन्होंने मूल संवर्ग / विपान में रोड में र 5500-9000 /		
संवित्त साहत) कंन्द्रीय / राज्य सरकार्स / सरकारी क्षेत्र के उद्यमों संतिषिक अद्वंसरकारी, स्वायत या किसी अन्य संगाउन के ऐसे अधिकारी (क) (क) (1) औकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पदो पर नियमित आधार पर कार्यरत हो; अथवा (11) जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में र 5500-9000 /		
केन्द्रीय / सप्कार्स सरकार्स / सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सांतिषिक अद्धंसरकारी, स्वायत या किसी अन्य संगठन के ऐसे अभिकारी (क) (क) (ह) औकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों, अथवा (ii)जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेह में र 5500-9000 /		
क्षेत्र के उद्यमं संतिष्कि अर्द्धसरकारी, स्वायत या किसी अन्य संगठन के ऐसे अधिकारी (क) (क) (1) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पदो पर नियमित आधार पर कार्यसत हों, अपवा (11)जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में रु 5500-9000 /		
अर्द्धसरकारी. स्वायत या किसी अन्य संगठन के ऐसे अधिकारी (क) (क) () जोकि मूल संवर्ग / विभाग में सादूरय पदो पर नियमित आधार पर कार्यरत हो; अथवा (ii)जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में प्रेड में ह 5500-9000 /		
संगठन के ऐसे अधिकारी (ज) (ज) जोकि मूल संवर्ग / विपाग में सादृश्य पदो पर नियमित आधार पर कार्यरत हो; अथवा (ii)जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में र 5500-9000 /		
(न) (j) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पदो पर नियमित आधार पर जायंत हों; अथवा (ji)जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में ह 5500-9000 /		
(i) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में साहरय पदो पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii)जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में ह 5500-9000 /		
सादूरय पदो पर नियमित आधार पर जायेत हों; अथवा (ii)जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में ह 5500-9000 /		
आधार पर जायेरत हों; अथवा (ii)जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में ह 5500-9000 /		
(ii)जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में ह 5500-9000 /		
में ग्रेड में र 5500-9000 /		
रू 5000-8000 अथवा समतुत्य		
वेतनमान में निर्वामित आधार		
पर नियुक्ति के बार उस ग्रेड		
में 3 / 6 वर्ष को नियमित	-	_
सेवा कर ली हो ; तथा		
(פ) ואיזאי אוא ואיד אפטוע /		
ं अनुभव हो :		
(i) विभिन्न शिक्षा निदेशालयों,		
एससीईआरटी, केवीएस,		PAR
एनवीएस अथवा ऐसी किसी		

- 1 - 16 - 17-1- 月1

. . . .

I,

14

1

3

ļ

प्लुदेगे भे अंदिक भारते अपुरुष अपुरुष (1) मूचना और में साम का जान्म का का का जान्म का क			
सन्हों में सैंदिक प्रणानों आप में सैंदिक प्रणान का अप मां के प्रणा का जान और संबार पंथ्वीगिकों के प्रणा का जान और संबार पंथ्वीगिकों के प्रणा का जान संबंध का ताम आप मां स्वाप्या ताम अपने का प्रयोग ताम संबद्ध के जान का संबदाय आप देने बाने स्वाद्ध संबद के अपिक का अपने का संबदाय आप देने बाने स्वादा संबद के अपिक का अपने का संबद की किया जा सकता है। प्रतिन्दुविन इस अपने के अपनेक संबद की का आप पर्वे को संबद की किया जा सकता है। प्रतिन्दुविन इस अपनेक के अपनेक		वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
भाषा से स्वाता के साम का साम		प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56	
आहे में शिवक प्रणासी आहे में शिवक प्रणासी के प्रणा की के प्रणा की काटा-बेस प्रज्ञ भी काटा-बेस प्रज्ञ भी काटा-बेस प्रज्ञ भी काटा-बेस प्रज्ञ भी का आस त्या की काटा-बेस प्रज्ञ भी का आस त्या की का आम त्या की का का का का आम त्या की का का का का आम त्या की का क		संचिदा सहित) आवेदन पत्रों की	
याहते / अंधेवक प्रणादी आप से संधिक प्रणादी अनुभव (i) सूना आ से संबार प्रोगोगिकों के प्राप्ता का ज्ञान और संबार प्रोगोगिकों के प्राप्ता का ज्ञान और अगम सामयों का प्राप्ता सामयों का प्राप्ता (i) सूना और संबार प्रोगोगिकों के प्राप्ता आप त्यान स्वान और अग-ताम हरोक्ट्रोर्मेंक आप आप-ताम हरोक्ट्रोर्मेक सामयों का प्राप्ता सामयों का प्राप्ता (बन्द्र-प्रिप्ता किसो अन्य प्रान्द्र-प्रतिभाग में स्वा नियुक्ति से तक्तात्र-प्राप्ता में स्वा नियुक्ति से तक्तात्र-प्राप्ता में स्वा नियुक्ति की अन्य से प्रातिनियुक्ति की अन्न पांच वर्ष किया आप त्ये नाम संज्ञा है । प्रतिनियुक्ति द्वाप नियुक्ति के आपके		में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन	
स्पूर्ण / अंधिक प्रणाहो आहि में शिवक प्रणाहो , अपूथ्व (1) सूचना और संबार प्रौडीगिकी के प्रयोग का जान तोई संबार हाटा-के प्रज्ञ भाषा क्रम आफ-वाइन और हाटा-के प्रज्ञ भाषा क्रम आफ-वाइन और अपन-वाइन इतेन्द्रतिक अपन-वाइन इतिन किंद्र संबार अपन-वाइन इतेनी दिसे संबार अपन-वाइन इतेनी दिसे संबार अपन-वाइन इतेनी किंद्र		प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति कं मामले	
स्पूर्ली / अंक्षित प्रणाली आदि में अंक्षित प्रणाली आप में अभिन प्रणान का अनुभव (1)) सूचना और संबार प्रौडोगिकों के प्रयोग का ज्ञान और कि डाटा-बेस प्रज्ञभ साभानना तथा आप- ताइन ओर आप- ताइन दोन की समापनी का प्रयोग [कंदरीय सरकार/राज्य सरकार के ज्यति प्रपान किसी अज्ञ- संसार/जीवा में द्व्य नियुद्धिक गतिस्पूर्धित को अवधि समापना: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी दिसे संवार अपर दें जाते संगठ की संवार अपर दें जाते संगठ की		पांच वर्ष किया जा सकता है ।	
अप्ति भे शैकिक प्रणाली अपू भे शैकिक प्रणाली अपु भव (1) सूचना और संवार प्रौद्योगिकों के प्रयोग का ज्ञान और संवार का प्रायान का आफ- लाइन और आग- लाइन होन्द्रांगिक संसापने का आफ- लाइन और आग- लाइन होन्द्रांगिक संसापने का आफ- लाइन और आग- लाइन होन्द्रांगिक संसापने का आफ- अपनियुद्धित को अवधि पर भे प्रतिनियुद्धित को अवधि (अल्प्कालीन सांबदा सांहत) सहित प्रतिनियुद्धित को अवधि संसापने सांहत सांहत) सहित प्रतिनियुद्धित को अवधि संसापने सांहत सांहत सांहत प्रतिनियुद्धित को अवधि		सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक	 ······**
स्पूली / अंधिक प्रणाले आपि में अंधिक प्रणाल का अनुभव (i) सूचना और संचार प्रौड़ागिको के प्रथा और संचार प्रौड़ागिको के प्रथा और संचार प्रौड़ागिको डाटा-बेस प्रच्या भाग तथा आप- लाइ इ. इ. बेस आप- ताइ इ. इ. ब्रेस आप- ताइ इ. इ. ब्रेस आप- ताइ इ. इ. ब्रेस आप- ताइ इ. इ. ब्रेस आप- ताइ इ. ब्रेस्टिक संपाल्य- तिस्पी अपना किसी अन्य संपाल्य- तिस्पी स्वा माहित भा तब्क स्वाली साहित भाहित प्रानिधुवित की अवधि (अल्पकालीन संवित भाहित) महित प्रतिमिधुवित की अवधि		सेवाएं उभार देने वाले संगठन की	
प्रदुषी / शैंकिक प्रणाली आदि में शैंकिक प्रणाली अनुभव (i) सूचना और संचार प्रौद्योगिको के प्रयोग का ज्ञान और संचा हाटा-बेस प्रचन्न और आन-लाइन और आन-लाइन और आन-लाइन और आन-लाइन और आन-लाइन और आन-लाइन और आन-लाइन और अन्या किसो अन्य संगाठगित किसो अन्य संगाठगित किसो अन्य (अल्पकालीन संविद्य संक्ति) महित प्रतिनिधुक्ति को अवधि सागान्या: 3		वर्ष से अभिक नहीं होगी जिसे	 aaaaaaa
स्कूलो / अंधिक प्रणाली आदि में श्रैषिक प्रणाली अंदुभव (i) सूचना और संचार प्रोधोगिकों के प्रयोग का आन-ताइन और आन-ताइन और संचार प्रोधोगिकों के प्रयोग का आन-ताइन और आन-ताइन और का आन-ताइन और अन-ताइन और अन-ताइन और संगाठन/नेभाग में इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित किसी संवर्धधाद्द्य पर में प्रतिभिधुंधिन को अवधि (अल्पकालीन संनिद्य साहत) सहित			
स्कूलो / श्रैंकिन प्रणाली आदि में श्रैंकिन प्रणाली अनुभव (ii) सूचना और संचार प्रौधोगिको के प्रयोग का साम तो संचार को प्रयोग का प्रायान तथा आफ-ताइन और आन-ताइन और आन-ताइन और आन-ताइन और आन-ताइन और आन-ताइन और आन-ताइन और आन-ताइन और संगाटर-विभाग में इस नियुचित से तत्कालपूर्व धारित किसी अच्य पर में प्रतिरिधुदिन को अवधि		(अल्पकालीन संविदा सहित) सहित	
स्कूलों / अँक्षिक प्रणाली आदि में शैक्षिक प्रणाली अनुभव (ii) सूचना और संचार प्रौक्षोगिको के प्रयोग का ज्ञान और संचार प्रौक्षोगिको के प्रयोग का ज्ञान ताइन और डाटा-वेस प्रचन्ध सम्भालना तथा आपन-ताइन और आन-ताइन और आन-ताइन और अगन-ताइन देखे-द्रोनिक संसाप्टनी का प्रयोग (कंद्रीय सम्झार/राष्ट्र्या सम्कार के उसी अपना किसी अन्य संगाटर/निभाग में इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व भारित किसी संवर्भबाह्य		पर में प्रतिभिष्ठकित को अवधि	
स्कूलो / श्रैंक्षिक प्रणासी आदि में शैंक्षिक प्रणासी आदि में शैंक्षिक प्रणासन बा अनुभव (ii) सूचना और संचार श्रेंक्षेगिकों के प्रयोग का ज्ञान और कि डाटा-वेस प्रचन्भ साभातना तथा आपन-लाइन और आन-लाइन होकेद्रोंनिक संसाधनी का प्रयोग संसाधनी का प्रयोग संसाधनी का प्रयोग संसाधनी का प्रयोग संसाधनी का प्रयोग		तत्कालपूर्वधारित किसी संबर्गबाहय	
प्रमान प्रमान सम्भाग की सम्भाग		संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से	
		उसी अथवा किसी अन्य	
स्कूलो / अँक्षिक प्रणाली आदि में शैक्षिक प्रशासन का अनुभव (ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकों के प्रयोग का ज्ञान और कि डाटा-वेस प्रबन्ध सम्भालना तथा आफ-लाइन और आन-लाइन झौर संसाधनी का प्रयोग		किंन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के	
स्कूलो / जैक्षिक प्रणाली आदि में शैक्षिक प्रणाली अनुभव (i) सूचना और संचार प्रौद्योगिकों के पयोग का ज्ञान जैसे कि डाटा-वेस प्रबन्ध सम्भालना तथा आफ-लाइन झोर आन-लाइन इलेक्ट्रोनिक संसाधनी का प्रयोग			
स्कूलो / श्रैंक्षिक प्रणाली आरि में शैक्षिक प्रणाली अनुभव (ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकों के प्रयोग का ज्ञान और कि डाटा-वेस प्रबन्ध सम्भालना तथा आफ-लाइन और आन-लाइन इलेक्ट्रोनिक		संसाधनी का प्रयोग	
स्कूली / श्रैंक्षिक प्रणाली आदि में श्रैक्षिक प्रणाली अनुभव (ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकों के प्रयोग का ज्ञान असे कि डाटा-वेस प्रबन्ध सम्भालना कथा आफ-लाइन और		अगन–ताइन इलेक्ट्रोनिक	 ~~ 200
स्कूली / श्रैंक्षिक प्रणाली आहि में शैक्षिक प्रणाली आनुभव (i) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग का ज्ञान जैसे कि डाटा-वेंस प्रबन्ध सम्भालना		तथा आफ-लाइन और	
स्कूली / श्रैंक्षिक प्रणाल्सी आरि में श्रैक्षिक प्रणाल्सी अनुभव तो सूचना और संचार प्रौद्योगिको के प्रयोग का ज्ञान असे कि		डाटा-वेस प्रबन्ध सम्भालना	
स्कूलो / शैक्षिक प्रणाली आदि में शैक्षिक प्रशासन का अनुभव (ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिको		के प्रयोग का ज्ञान जैसे कि	
स्कूलो / श्रैक्षिक प्रणाली आहि में शैक्षिक प्रशासन क। अनुभव	n	(ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिको	
आदि में शैक्षिक प्रणाली आदि में शैक्षिक प्रशासन क।		अनुभव	
स्कूली ∕ शैक्षिक प्रणाली		आदि में शैक्षिक प्रशासन का	
		स्कूलो / अधिक प्रणाली	

,

1)


.

.

ī

लागू नहों œ Her. 3 ការ Ś लागू नहों चयन एवं वरिष्ठता | ഗ 天 6500-200-10,500 4 समूह 'ख' गैर-मंत्रालयी m 3(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय r-i वरिष्ठ वैर्याकक सहायक .

annonin ta an	4	तामू नही
	ņ	मुख्यालय <u>के</u> लिप्पु i. सदस्य सचिव - अध्यक्ष ii. उपसचिव (प्रक्षासन) - सदस्य iii. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि - सदस्य iv. अवर सचिव (प्रशासन⁄स्थ्लापना)-सदस्य
	12	पदोन्नति साष्ट्रीय अभ्यापक शिक्षा परिषद में सेवारत ऐसे आञ्चुलिपिक ग्रेड 'ग' जिन्होंने उस ग्रेड में छ: वर्ष की निर्मापत सेवा पूरी कर ली हो ।
		पदो-नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुधिन्त द्वारा (अल्पकालीन संजिदा सहित)
	10	लगग, नहीं
	6	लगगू महीं



		िय्यणी	v अनसचित जाति / अनसहित
	-	जब ऐसे मनिन्हों की पहोत्तति पर	ढ० जनजाति का सदस्य (जो अवग
		विचार किया जा रहा हो जिन्होंने	सचिव में क्रम स्तर का नहीं
		अपनी अईक सेवा पूरी कर ली है.	होगा) और जिसे सदस्य
	-	उनके वरिप्तों पर भी विचार किया	सचिव द्वारा नामित किया
	•	जाएगा बसते कि उनकी अर्हक /	चाएग - सदस्य
		पात्रता सेचा, आघी से अपिक अहंक	
		/ पात्रता सेवा आयला दो यहाँ हुनमें	
		से को भी कम हो, से कम न रह	
		गई हो और जिन्होंने ऐसी अहक /	
		पात्रता मेचा पूरी कर लेने वाले अपने	
1		कनिष्ठों सहित आग्ते उच्चता ग्रेड में	
		पयोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि	
		सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	
<u></u>		प्रतिनियुष्टिन्त् (अल्प्ष्कालीन् संविदा	
		सहित)	•
		केन्द्रीय / राज्य सरकारों / सरकारी	
		क्षेत्र के उद्यमों / सांविधिक, अर्द्ध	
		सरकारी, स्वादत या किसी अन्य	
		संगठन के ऐसे अधिकारी	-
<i>ş</i>		(क) (क)	
		(i) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में	
		सादृश्य पदौं पर नियमित आक्षार	
	A LEAST AND A LEAST AN		

٠

भारत का राजपंत्र : असीमीएँग

										Ur u							F					
	AV / 100000																					
																						anna an Anna Anna Anna Anna Anna Anna A
<u>م</u> مر ،	k		पा	<u>ب</u>	书	तथा		1		भीत	ाट को		<u>ोगिको</u>			r.	निक	×		असी	2 2 1 1	
ं / विभाग	1 0006	। समतुल्य	वेतनमान में नियमित आधार पर	नियुक्ति को बाद उस ग्रेड में	निर्वापत आधार पर ३/७ वर्ष कौ	नियमित सेया कर ली हो ; तथा		रं/ अनुभ		(i) अंग्रेजो / हिन्दी आशुलिपि	में 120 क्षच्द प्रति मिन्स्ट को		सूचना और संचार प्रौक्षोगिको	के प्रयोग को जानकारी	जैसेकि डाटा बेस प्रबन्ध	संभालना तथा आफलाइन	और आनलाइन इलेक्ट्रोनिक	संसाधनों के प्रयोग का		सरकार के	गठन/विभाग	and the second
मल संवर्ग	गेड में रू 5500-9000 /	50008000 अथवा समतुल्य	में नियमि	को बाद	आधार प	सेया कर		ान आईताप	 2005	ग्रेजो / हि	120 475	चति	चना और	प्रयोग क	सेकि डाटा	भालना तथ	रि आन्ता	साधनों के	अनुभव ।	कार/राज्य	ो अन्य स <u>ं</u>	AN ADDRESS AND ADDRESS A
(ii) जिन्होंने मुल संवर्ग / विभाग में	प्रेड म	5000-8	वेतनमान	नियुक्ति	नियमित	नियमित		(ख) जो निम्न अर्हताएं / अनुभव	रखले हों :	(i) ă	#	F	· (ii) ਬ੍	Ŧ	布	£Ì,	آ ھ'	सं	স	किंन्दीय सरकार/राज्य सरकार के उसी	अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में	
<u> </u>	, 	× 8.000 177				28 1 M AS					 .				ø				**			
																						a angle and
														•							÷	
							aur v v * * *aur	••														
1 2	A					•									14,	ž						
																				ĸ		
																						No. of the second se
MM 7 7 7 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10							***************************************						••••		,					<u>_</u>		

× ×

FRANCE THE E

ŧ

		+		
		8	लागू नहीं	
		2	लागू नहीं	
	लपूर्व धारित मे प्रतिनियुक्ति मि संविदा कित की अवधि कित की अधिक बढ़ाकर अधिक बढ़ाकर अधिक बढ़ाकर अधिक बिह्य जा सकता किया जा सकता किया जा सकता किया जा सकता कित जावेदन नित्तम	6	लागू नहीं	
, r	इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित किसी संवर्गजाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अत्पकातीन संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति को अवधि सम्मन्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक सं अधिक प्रती के पद के लिप प्रती विनियम अधिकारी के पद के लिप प्रती विनियम	. 5	लागू नहीं	a
	लेखा अधिकारी के प	4	रु 7450-225-11500 लागू नहीं	
	ب	3	समूह 'ख' ¹ गैर-मंत्रालयी	
		2	1(2003)* कार्यभार के	अनुसार परिवर्तनीय
	• .	-	लेखा अधिकारी	,

[भाग III—खण्ड 4]

	20	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINA	RY [PART III—SEC. 4]
14	लागू नहीं		
13	लागू नहीं		
12	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित) के-दीय / राज्य सरकारों / सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/सांविधिक, अर्द्धसरकारी, स्वायत या किसी अन्य संगठन के ऐसे अ धिका री	(क) (i) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पर्दो प्रा निर्यामत आभार पर कार्यरत हो; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में ग्रेड में ह 5500-9000 अथवा समतुत्य तेतनमान में ,निर्यामत आणा पर तिषुक्ति के बाद उस ग्रेड में 5 वर्ष वेतनमान में ,निर्यामत आणा पर विद्यामात सेवा कर त्वी हो; तथा की निम्न अहर्लाएं/अनुभव संछते हो; ख)जो निम्न अहर्लाएं/अनुभव संछते हो; केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगाहित	ल्ला वभाग દ्वा आयांच्या सरएस अथवा समकक्ष परोक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो आईएसटोएम या उसके समतुल्य संस्थान से तेकड़ और लेखा कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा मिम्या हो तथा रोकड़, लेखाओं और बलट कार्य का अनुभव हो ।
1	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित)		
10	तागू महो		
6	लागू नहों		· ·

.

•

241

•

٠

è,

			[केन्द्रीय सरकार∕ग	किन्दींय सरकार∕राज्य सरकार के उसी		-
			अथवा किसो अन्	अथवा किसो अन्य संगठन/विभाग में		
			इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व थारित	ात्कालपूर्व थाति		
			किसी संवर्गबाहय	किसी संवर्गबाह्य पर में प्रतिनियुक्तित 		
			को अवधि (अल्प	की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित)		
			सहित प्रतिनियुक्तित की अवधि	की अवधि		
			सामान्यतः 3 वर्ष	सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी	r	
			जिसे सेवाएं उधार	जिसे सेवाएं उथार देने वाले संगठन की		
			सहमति से बढ़ाक	सहमति से बढ़ाकर अधिक से आधिक		
			पांच वर्ष किया जा सकता है।	ग सकता है।		
			प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के माथले में		
			अधिकतम आयुसी	अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन		
			संबिदा सहित) आ	संविदा सहित) आवेदन पत्रों को प्राप्ति		
			कौ अन्तिम तातीख	कौ अन्तिम सारीख को 56 वर्ष से		
			अधिक नहीं होगी।	_		
		कम्प्यूटर प्रोग्रामर–	एवं- आयोखना औ	कम्प्यूटर प्रोग्रामर-एवं- आयोजना और मानीटीर्रंग अधिकारी	ا ج	
2	m	4	S	v	~	50
कम्प्यूटर प्रोग्रामर 1(2003)* कार्यभा	र समूह 'ख्र'	र 6500200-10500	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
-एवं- अग्योजना के अनुसार और मानेटरिंग परिवर्तनेय	गैर मंत्रात्यी					
अधिकारी						

-	2		 					 THE	GAZ	ÆIJ	ΈŌ	FIN	DLA	EXI	RAO	RDINA	RY_				[]	PART	II —	SBC 4]
14	लागु नहीं	1	 					 																
13	लागु नहों	í																						
12	प्रतिनियकि (अल्पकालीन संविदा सहित)	राज्य स्वकार्गे	क्षत्र के उद्यमा/साविधिक, अद्भ	सरकारी, स्वायत या किसी अन्य	संगठन के ऐसे अधिकारी	(क)	(i) जोकि मूल संबर्ग / विभाग में	पर कार्यरत हों; अथवा	(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग	F	포 5500-8000/- अਧਕ।	समतुल्य वेतनमान में नियमित	आधार पर नियुक्ति होने के	बाद उस ग्रेड में ३/6 वर्ष को	सेना की हो; तथा	(ख) जिनके पास निम्न अर्हता /	अनुभव हो :	(i) डीओईएसीसी से बीसीए	अथबा समतुत्त्य प्रमाण पत्र	(ii) डाटाबेस प्रबन्ध के लिए	साफ्टवेयर विकास, स्थानीय	क्षेत्र नेटवर्क के वेब डिजाइसिंग	तथा प्रणाली प्रबन्ध का तीन	वर्ष का अनुभव
11	प्रतिनियक्ति द्वारा (अल्पकालीन	मंतिला यहित।																						
10	लाग नहीं		 					 												t				
۵	लाग नहीं																			-				

नों सिंहे के से से लोग है। से सी तो ने की सी लोग - ने से सी ही है। से सी सी ने की सी लोग - ने सी सी ही है। से सी सी सी लोग सी लोग - ने सी सी ही है। से सी सी लोग सी लोग - ने सी सी ही है। से सी सी लोग सी लोग सी लोग - ने सी सी ही है। से सी सी सी लोग सी लोग सी लोग सी लोग सी लोग सी लोग - ने सी	पत्रों को प्राप्ति को अन्तिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	स आधक पाच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्फ्कालीन संविदा सहित) आवेदन	सहित) सहित प्रतिनियुक्ति को अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन को सहमति से बढ़ाकर अधिक	[कन्द्राय सरकार क उसा अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व भारित किसी संवर्गाबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा	जाएगा आर याद उसका चयन हो बाता है तो ऐसा समझा जाएगा कि सीपीपीएमओ का पर पर्दानति से भरा गया है ।)	पास उपयुक्त निधारित अहताए हो, उसके मामूले पर भी विचार किया
---	--	--	---	--	--	---

۲

×

.

-				V			<u> </u>		8	
पुस्तकालयाध्यक्ष 1	<u>-</u> 1(2003)* कार्यभार	समह	-	€ 6500-200-10500	लाग नहीं	लाग् नहो	लाग नहीं	in the second	लागु नहीं	
	्र के अनुसार		मयो		5		í		;	
तथा प्राडक्शन प अधिकारी	परिवर्तनोय									
		10						13	14	7
लागू नहीं	लागू नहीं		प्रतिनियुक्ति द्वारा भि	द्वारा (अल्पकालीन	<u>प्रतिनियुक्ति (अल</u> ्	<u>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित)</u>		लागू नहीं	लागू नहीं	
		्म 	संविदा सहित)	<u>ध</u> ि	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय / राज्य सरकारों / सरकारी क्षेत्र के	1 6			
					उद्यमें सांविधिक,	उद्यमें सांविधिक, अर्द्धसरकारी, स्वायत या किसी	<u>कि</u> सी			
					अन्य संगठन के ऐसे अधिकारी (क)	ऐसे अधिकारी				
				<u> </u>	(i)	जोकि मुल संवर्ग / विभाग में				
						र्में पर नियमित आधार पर	त स			
					कार्यर	कार्यरत हों; अथवा				
					(ii) जिन्हों	जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में	म			
						ग्रेड में रु 5500-9000/5000-8000	8000			
					과ਧ리	अथवा समतुल्य घेतनमान में नियमित	नयमित			
					आश्वा	आधार पर नियुक्ति के बाद उस	उस			
					ग्रेड 1	ग्रेड में 3/6 वर्ष को नियमित सेना	सेवा			
					्र मुरी	् पूरी कर लीहो ; तथा				
					(ख) जो निम्न अ	(ख) जो निम्न अर्हताएं / अनुभव रखते हों :	<u>ज</u> ्			
					अनिवार्य :					<u>[</u>
					(i) किसीम	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	ਸ਼ੇ			
					बनम से	कम से कम दूसरी श्रेणी⊦में एम∘ए∘	• ए०			
					की डिग्रो	ц.				JEC.
					(.) सिंहमी स	कि.मी मान्यतापाल किंडललिडालय	 بلہ			<u>+</u>

<u>। प्राह्तकार</u>ी

24

ł

ti 📭

.

¥ 1

*	
पुस्सकालय विज्ञान में डिग्री पुस्सकालयाध्यक्ष/प्रतंखन सहायक के पुस्सकालयाध्यक्ष/प्रतंखन सहायक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव (iv) सूचना और संचार प्रौद्धोगिको के प्रयोग की जानकारी जैसेकि डाटा वेस प्रवन्ध के लिए पुस्तकालय सामरवेयर संभालन के जामल्लाइन और आन्लाइन हलेकट्रोनिक संसाधनों के प्रयोग हली-रोम / इन्टरनेट आदि जैसे डिजिटल संसाधनों का प्रयोग का अनुभव	वांख्नीप फ्लेखिन की आधुम्कि और उच्च सतीय पद्धतियें को जानकारी किन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस निशुक्ति से तिक्सी अन्य संगठन/विभाग में इस निशुक्ति से तत्कालपूर्व धारित किसी संवर्गबाहय पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि से से से से सहित) सहित प्रतिनिशुक्ति को अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उथार देने संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है ।

s,

			आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीर्ध को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।	त को आन्तिम तार्र हीं होगी] ।	खि स्रो	
		कनिष्ठ लेखा	लेखा अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम	भर्ती विनियम		
	. 2	т Т		6	•	
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	5(2003)* कार्यभार को	समूह 'ख' रु 5500-17 गैर-मंत्रालयी	5500-175-9000 लागू नहीं	लागू महाँ	लागू नहों	लागू नहीं
	अनुसार परिवर्तनीय				11111111111111111111111111111111111111	
NOT THE TAXABLE AND A CONTRACT OF A	0		12	Ű		।
लागू नहों	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	([*]	<u>। संवि</u> ता लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
		(अल्पकालीन सीवदा सहित)				
			केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सरकारी	सरकारी		
			क्षेत्र के उद्यमों/सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी,	-सरकारी,		
	,	•	स्वायत तथा अन्य संगठनों के ऐसे	事		
	-	c 	अधिकारी			•
			(क)			
		•.	(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में निर्वापत	निर्नापत		
		•1	आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत	स कार्यात		,
			हों, अथता _{'ह}		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		¥.	(11) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में ग्रेड	। में ग्रेड		
		-	H 7 5000-8000/4000-6000	6000		
	-	•	200	ሻ		

<u>x</u>

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[Part III-SEC. 4]

ъ.

	नियमित आधार पर नियुक्ति के	1
	बाद उस ग्रेड में 3⁄10 वर्ष की	·
	नियमित सेवा की है, तथा	
	(ख)जिसके पास निम्न अहर्ताएं/अनुभव	
	हो:	
	(i) रोकड़, लेखा और बजट	
	कार्य का तीन वर्ष का	
	अनुभव; तथा	
	. (ii) सूचना और संचार	
	भ्रौद्योगिकियों के प्रयोग में	
	सुनिधा जैसे कि डाटा बेस	
	प्रबन्ध प्रणाली को संभालना	
	[केन्द्रीय सरकार⁄राज्य सरकार के उसो	
	अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में	
-	इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित	دًا *
	किसी संवर्गबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति	
	की अवधि (अल्पकालीन संविदा	
	सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि	
	सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं	
	होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले	
	सेंगठन की सहमति से बढा़कर	
	अधिक से अधिक पांच वर्ष किया	•
	जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा	
	नियुक्ति के मामले में अधिकतम	The second se
	आयुसीमा (अल्पकालीन संविदा	
	सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की	
	अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से	
	अधिक नहीं होगी]।	5

		cherric contraction of the second		A AND				A Strategy of American Activity and American Activity Activity Activity and American Activity Activity and American Activity Activity Activity and American Activity Activit
A STATISTICS AND ADDRESS AND ADDRE	17	F)	4	ŝ	Ŷ			æ
सहायक	8 (2003)*	भ्रम्भ भूम	¥ 5000-150-8000	चयन एवं	लागू नहों	20 से 27	20 से 27 वर्ष को बांच	अनिवार्थः
	कार्यभार के	मंत्रालयो	, 19.	वरिस्ता		टिपणी	ट्रिप्पणी : आयु सौमा का निर्धारण	मान्यताप्राप्त
	अनुसार					करने के	करने के लिंग् निर्णायक तारीख भारत	विश्वतिद्यालय से
	परिवर्तनीय					में आवेदन	में आवेदन पत्रों को पापि को अन्तिम	स्नातक अथवा समतुल्य
						सारीख होग	तारीख होगी (और वह अन्तिम तारीख	<u>वांछनी</u> य
						स्तू जो	कि असम, पेचालय,	।. केन्द्रीय / राज्य
						સંસ્થાાનજ	<u>अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, तिपुस,</u>	सरकार, स्वायत
	,					सिंकिम,	सिंकिकम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का	अथवा अन्य
						लद्दाख	लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के	संगठनों में
						लाहोल तथ	लाहोल तथा स्पौति और चम्बा जिले,	/ मिमीन्य प्रशासन
						Figure	निकोबार द्वीपसमूह अथवा	स्थापना / भण्डार
		*******				लफ्ट्रीप	के अप्यर्थियों के लिए	/लेखाओं में दो
		3	,			निर्धारित क	निर्धारित को गई है)।	वर्ष का अनुभव
								2. कम्प्यूटर प्रयोग में
				A er anna er ar 1997 - 199				सुविभा
	6	0,			12		EL.	4
नहीं	- or	सीधी भर्ती के	25 % परोन्नति द्वारा	<u>।</u> पदोन्नति	नति		1. सदस्य सचित्र - अध्यक्ष	। लागु मही
		स्लिए दो चार्ष	अौर ऐसा न होने पा		राष्ट्रीय अप्यापक क्षिसा परिवद में	परिषद में	2. उपसचिच (प्रशासन)	
			प्रतिनियुक्ति (अल्प्कालीन	Þ	उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने	जिन्होंने	सदस्य	
			संविदा सहित) द्वारा		उस ग्रेड में आठ वर्ष को नियमित	ते नियमित	3. अवर सचिव	
****			75 % सोधी मर्ती द्वारा		सेवा पूरी कर ली हो ।		(प्रशासन/स्थापना) - सदस्य	1
							4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित) r :
				मिय	दिप्पणी ; जब ऐसे कनिच्छों की	ख्रु स	जनजाति का सदस्य (जो	
				\$ 	पदोन्नति पर विचार किया जा रहा	त जा रहा	अवर सचिव से कम स्तर	
-				a r	हो जिन्होंने अपनो अहंक सेवा	सेवा पूरी	का नहीं होगा) - सदस्य	<u>स</u>

¥

· ±

ţ.

13 N I

k

41

28

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART IN-SEC. 4]

۹۷ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲		9 a annuar a 1 a 1 anna	कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी	6.		•
			विचार किया जाएगा बरातें कि		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l
			उनको अर्हक / पात्रता सेवा, आधी			
			से अधिक अर्हक / पात्रता सेवा	4	41	•
			अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी			
			कम हो, से कम न रह गई हो			
			और जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता			
			सेवा पूरी कर लेने वाले अपने			
			कनिष्ठौं सहित अगले उच्चतर प्रेड	4		
		i i	में पदोन्नति के लिए परिवोक्षा की			
			अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली			
			हो ।			
			प्रतिनियुक्त (अल्पकालीन संविदा		। स्व	
			संहित)		भारत की राजमंत्र : असमवारण	
			केन्द्रीय / राज्य सरकारों /			
			सरकारी क्षेत्र के उद्यमों /	*	বাবে	
	r.		साविधिक, अर्द्धसरकारी, स्वायत्त			
			अथवा किसी अन्य संगठन के ऐसे			
			अधिकारी			
			(क)		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
			(न) (i) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में			
			सादृश्य पदौं पर नियमित			
			आधार पर कार्यरत हों; अथवा	ч. Ч	1	
			(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग /			
			(ii) जिन्हान मूल संयग 7 विभाग में ग्रेड में रु			
			14400-6000 के वेतनमान			
het helt ein dir ein						ţ

ъў

में नियमित नियुक्ति के बाद 8 वर्ष को नियमित सेवा पूरी कर ली हो और (ख) जिन्हें सामान्य प्रशासन / स्थापना / भण्डार / लेखाओं	अथवा समतुल्य का तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो (केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित किसी संबर्गवाह्य तत्कालपूर्व धारित किसी संबर्गवाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविद्य सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे संवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बहाकर अधिक से संहमति से बहाकर अधिक से संहमति से बहाकर अधिक से सामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन संतित्त) आकेट्य (अल्पकालीन संतित्त) आकेट्य	(अल्पकालान सापना साहग) आपपन पत्रों की प्राप्ति को अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।
	•	

*

1	2	3	4	5	6	7	8
तकनीकी सहायक	1 (2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' गैर-मंत्रालयी	で 5000-150 8000	- लागू नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ારવલવાલ				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
9	10		1	12		13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति ((/पदो-नति) व व र (((() () () () () () () ()	तिनियुक्ति (अल्पकाल नेन्द्रीय / राज्य सरक 5 उद्यमॉं/सॉबिधिक, क 1 किसी अन्य संगठ क) 1) जोकि मूल संवर्ग 15 जोकि मूल संवर्ग 15 जोकि मूल संव 15 जिन्होंने पूल संव 15 जो जिन्हों पर नियमित 16 जिन्होंने पूल संव 17 जो निम्न अर्हतार हों : 19 जो निम्न अर्हतार हों : 19 जो निम्न अर्हतार हों :	रों / सरकारी क्षेत्र अर्द्धसरकारी, स्वायत ज के ऐसे अधिकारी / विभाग में स्त आधार पर र्ग / विभाग में अथवा समतुल्य आधार पर नियुक्तित 8 वर्ष की नियमित श्या (/ अनुभव रखते का बीसौए अथवा	लागू नहीं	लागू नहीं

.

 (ii) का-म्यूटर प्रणाली में हार्ड वेयर का तीन वर्ष का अनुभव और भागूली मरम्मक करने का कोशल । (उग्युंकत अहंगाओं से युक्त विभागांभ हाटा एन्ट्री आपरेटर के मामले पर भी विचार कि जरुनीकी सहायक का पर पहोन्चत कि तरुनीकी सहायक का पर पहोन्चति द्वारा भरा गवा है तो ऐसा समझा जाएमा कि तरुनीकी सहायक का पर पहोन्चति द्वारा भरा गवा है ।) [कंन्द्रीय सरकार में असी आपना कि तरुनीकी सहायक का पर पहोन्चति द्वारा भरा गवा है ।) [कंन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इम नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी संवर्गवाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संवित्त सामान्यत: 3 वर्ष से आपक ने अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के प्राप्त को अपिक साह होगी । 	कम्प्यूटर प्रणाली में हार्ड हे का तीन वर्ष का अनुभव मामूली मरम्मत करने का कौंशल । जे अहंताओं से युक्त विभाग न्हों आपरेटर के मामले पर किया जाएगा और यदि उस किया जाता है तो ऐसा कि तकनीकी सहायक का हारा भरा गया है ।) सरकार/राज्य सरकार के हारा भरा गया है ।) सं तकनी सहमति से के संगटन की सहमति से ब से संगटन की सहमति से ब स्तीन संविदा सहित) आवेद- रतीन संविदा सहित) आयुसीमा आधक नहीं होगी ।			- t		
कम्प्यूटर प्रणाली में हार्ड हे का तीन वर्ष का अनुभव मापूली मरम्मत करने का कौंशल । कौंशल । ते अर्हताओं से युक्त विभाग त्रे अपसेटर के मामले पर किया जाएगा और यदि उस किया जाता है तो ऐसा कि तकनीकी सहायक का हारा भरा गया है ।) सरकार/राज्य सरकार के हारा भरा गया है ।) सरकार/राज्य सरकार के हारा भरा गया है ।) सरकार/राज्य सरकार के सरकाल पूर्व धारित कि हा पद में प्रतिनियुकित की लिनि संविदा सहित) सहित के संगठन की सहमति से ब से संगठन की सहमति से ब रालीन संविदा सहित) आवेद- ले के अभिकतम आयुसीमा आधक नहीं होगी । आधक नहीं होगी ।	कम्प्यूटर प्रणाली में हार्ड हे का तीन वर्ष का अनुभव मामूली मरम्मत करने का कौंशल । जे अहंताओं से युक्त विभाग न्हों आपरेटर के मामले पर किया जाएगा और यदि उस किया जाता है तो ऐसा कि तकनीकी सहायक का हारा भरा गया है ।) सरकार/राज्य सरकार के हारा भरा गया है ।) सं तकनी सहमति से के संगटन की सहमति से ब से संगटन की सहमति से ब स्तीन संविदा सहित) आवेद- रतीन संविदा सहित) आयुसीमा आधक नहीं होगी ।				•	
		मेस यय थ	किया जाएगा और यदि तर लिया जाता है तो कि तकनीकी सहायक द्वारा भरा गया है ।	[केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इम निर्युक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी संवर्गबाह्य पद में प्रतिनिर्युक्ति की अवधि (अल्लास्टोंट मंनिटा मंहित) मंहित	प्रतिमियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने बाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा मक्तता है । पत्तित्राफ़्ति लग नियक्ति	तक्या ह । आपाण्युल्य क्रेग्र गणुन्य के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन संविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ।

•	M	M	ম	ν	\$	7		s
आश्वृहितमिक	12 (2003)*	, ווי אוד:	₹ 5000-150-	चयन एवं	लामू नहों	18 से 27 वर्ष के बीच.	য	अनिवार्य
ਸੇਤ 'ਸ'	कार्यभार के	, 	8000	वरिष्ठता		टिप्पणी : आयु सीमा का निर्धारण	का निर्धारण	। किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड
	अनुसार					करने के लिए निर्णायक तारीख	यक तारीख	अथवा विश्वविद्यालय से
	परिवर्तनेय		1			भारत में आवेदन पत्रों की प्राप्ति	की प्राप्ति	मैट्रिक अथवा समतुल्य
						को अन्तिम तारीख होगी (और	होगी (और	2. अंग्रेजी / हिन्दी
						वह अन्तिम ताऐख नहीं जो कि	हों जो कि	आभुत्तिपि में 100 शब्द
	•			*		असम, मेघालय, अल्णाचल प्रदेश,	ााचल प्रदेश,	प्रति मिनिट को गति
						नागालेंण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू		3. कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री
						तेषा करमीर राज्य का लद्दाख	का लद्दाख	तथा वर्ड प्रोसेसिंग
		-				प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल	के लाहोल	कौश्वल
	<u>i-</u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			τ.	तथा स्पीति और चम्बा जिले,	मम्बा जिले,	(अंग्रेजी और हिन्दी-दोर्नो
		·····				अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा	समूह अथवा	आशुतिपि का ज्ञान रखने वाले
						लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों		व्यकितयों को वरीयता दी
						निर्धारत को गई है)।	·	जाएगी)
						с. 		
A AAA HILL AND	6	10	11	***	12		13	14
लागू महों		सीधी भर्ती के किंग उ	50% पदोन्नति द्वारा और भेम्म न होने पर	ता और भ	<u>पदो</u> न्नति साम्रीय अभ्यापक श्विष्य परिषद में सेतारन	c	सदस्य सचिव - अप उष्णायने	अध्यक्ष लाग् क्हीं क)
		म बर्षे वर्षे	्रातनियुक्ति (अल्पकालीन	भलीन	भूसे आश्चतिषिक ग्रेड 'घ' जिन्होंने इस	i 	या नग (क्याप्त	
			संविदा सहित) द्वारा		येड में 8 वर्ष की सेवा की हो और	m	अचर सचिव (प्रशासन ⁄	सन /
			50% सीथी भर्ती	द्वारा	जिनके पास अंग्रेजो / हिन्दी आयुलिपि		स्थापना)- सदस्य	
-							•	

आञ्चुलिपिक ग्रेड 'ग' के पद के लिए मर्ती विनियम

[भाग] [[—खण्ड 4]

	५, अनुसूचित जाति / अञ्जलित रुल्लि -	अपुर्भाषत जनआत का सदम्य (जो अतन	सचिव में ऊम स्ता का	सहीं होगा। - महरत			•								9				· ·			:		
	नात	अपनी अर्हक सेवा यूरी कर ली है,	उनके वरिष्ठों पर भी विंचार किया	जाएगा बशतें कि उनकी अईक / पात्रता	सेवा, आधी से अधिक अहंक / पात्रता	सेवा अथवा दो चर्ष इनमें से जो मी	कम हो, से कम न रह गई हो और	जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी	कर लेने वाले अपने कनिच्ठों सहित	अगले उच्नतर घेड में पदोनति के लिए	परिवीक्षा को अवधि सफलतापूर्वक पूरी	काली हो ।	, 1	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालोन संविदा सहित)	केन्द्रीय / राज्य सरकार/ सरकारी क्षेत्र	के उद्यमें / सोविषिक, अर्द्धसरकारी,	स्वायत अथवा अन्य संगठनों के ऐसे	आशुलिमिक		सार्दृश्य पदौं पर नियमित आधार	पर कार्यत हों; अथवा		में ग्रेह में रु 4000-6000	समतरूप वेतनमान
											-									Þ		-		

34

 ,	नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की नियमित	
	बाद आठ वर्ष को नियामत सेवा कर ली हो और जिनके	
,	पास अंग्रेजी / हिन्दी आशुलिपि	
	में 100 ज्ञब्द प्रतिमिनिट की	
	गति हो ।	
·	किन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी	
	अथवा किसी अन्य संगठन⁄विभाग में	
	इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित	
	किसी संवर्गबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति	
	को अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित)	
	सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि	
	सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेनगरं ज्यान की उन्हों संगणन की	
*	्र जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक	
	सहमात से बढ़ाकर आयक से आयक पांच वर्ष किया जा सकता है ।	•
	प्रतिनियुक्तित द्वारा नियुक्तित के मामले में	
	अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन	
	संविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति	
	की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से	
	अधिक नहीं होगी] ।	

•

विनियम
भर्ती
तिय
16
ч Ч
18
দ্ব
ग्रेड
आञ्चुलिपिक

CO	अनिवार्य	1. किसी मान्यताप्राप बोर्ड	अथवा विश्वविद्यालय से	मैट्रिक अथवा समतुल्य	2. अंग्रेजी / हिन्दो आशुलिपि	में 80 शब्द प्रतिमिनट कौ	मति ।	3. कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री तथा	वर्ड प्रोसेर्सिंग कौंशल	(अंग्रेजी / हिन्दी दोर्नो	आयुलिपि का ज्ञान रखने वाले	ंव्यक्तियों को चरीयता दी	जाएगी)			4
2	18 से 27 वर्ष को चीव	टिप्पूर्णो : आयु सीमा का	निर्धारण करने के लिए निर्णायक	तारीख भारत में आवेदन पत्रों	को प्राप्ति को अन्तिम तारीख	होगी (और वह अन्तिम तारीख	नहीं जो कि असम, मेघालय,	अरुषाचल प्रदेश, नागालैण्ड,	त्रिपुरा, सिक्तिकम, जम्मू तथा	राज्य का लद्दाख	प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के	साहोल तथा स्पीति और चम्बा	जिले, अण्डमान निकोबार	द्वीपसमूह अथवा लंक्षद्वीप के	अभ्यधियों के लिए निर्धारित की	गई है)।
ę	लागू नहीं										,					
S	लागू नहीं											×				
4	₹ 4000-100-6000															
m	समूह 'ग'	मंत्रालयी														
	6 (2003)*	कार्यभार के पंत्रालयी	अनुसार	परिवर्तनीय												
• • • •	आञ्चुलिपिक	ਸ਼ੇਫ 'ਬ'	•							•						•

.

-@~	54]							М	रत व	त संज	੫ 계 :	ઞસ	খা(গ									
लागू नहीं										. <u> </u>					-							
स्थायी किए जाने के लिए	मुख्यालय के लिए	1. उपसचित (प्रशासन) -	अध्यक्ष	2. अचर सचिव	(प्रशासन⁄स्थापना)-सदस्य	3. उपसचिव (प्रशासन) द्वारा	नामित किया जाने वाला	अवर सचिव स्तर का एक	अधिकारी - सदस्य	4. अनुसूचित जाति /	अनुसूचित जनजाति का	सदस्य (जो अवर सचिव	से कम स्तर का नहीं	होगा)- सदस्य	क्षेत्रीय समिति के लिए	1. क्षेत्रीय निरेश्वक – अध्यक्ष	2. क्षेत्रीय समिति में अवर	सचिव- सदस्य	3. उपसचित (प्रशासन) / सदस्य	सचिव द्वारा नामित किया	जाने वाला अवर सचिव स्तर	का एक अधिकारी - सदस्य
लागू महाँ	-			~								-										
सीधी भर्ती द्वारा								×						·		•						
2 वर्ष																	v			,		
लागू नहीं			•					•	c							-						
	2 वर्ष सीधी भती द्वारा लागू उहीं स्थायी किए जाने के लिए लागू नहीं	बर्ष सीधी भती द्वारा लागू नहीं	2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लागू उहीं स्थायी किए जाने के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए 1. उपसचित (प्रशासन) -	2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लागू महों स्थायी किए जाने के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए 1. उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष	2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लागू महों स्थायी किए जाने के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए 1. उपसचित (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव	2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लगपू नहीं स्थायी किए जाने के लिए लाने त्यहों मुख्यालय के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए 1. उपसचित (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना)-सदस्य	2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लगरू म्हों स्थायी किए जाने के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए ना , उपसचित (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अचर सचिव (प्रशासन/स्थापना)-सदस्य 3. उपसचिव (प्रशासन) द्वारा	 2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लगा, नहीं स्थायी किए जाने के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए मुख्यालय के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए 1. उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना)-सदस्य 3. उपसचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किया जाने वाला 	2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लगगू महीं स्थायी किए जाने के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए त्यसित (प्रशासन) - अध्यक्ष (प्रशासन/स्थापना)-सदस्य 3. उपसतित (प्रशासन) द्वारा नापित किया जाने वाला अवर सीवव स्तर का एक	2 वर्ष सीधी थती द्वारा लागू नहीं स्थावी किए जाने के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए लागू नहीं 1. उपसचिव (प्रसासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना)-सदस्य 3. उपसचिव (प्रशासन) हारा नामित किया जाने वाला अधिकारी - सदस्य	2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लागू मही स्थायी किए जाने के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए मुख्यालय के लिए लागू नहीं 1. उपसतिव (प्रशासन) - अध्यक्ष अध्यक्ष 2. अबर सर्विव (प्रशासन) - अध्यक्ष 3. उपसतिव (प्रशासन) हारा नामित किय जाने वाला अवर सर्विव (प्रशासन) हारा त्राहा कवा 3. उपसतिव (प्रशासन) हारा त्राहा कवा अवर सर्विव सरा का एक अवर सर्विव सरा का एक अधिकारी - सदस्य 4. अमुसूचित जाति /	 2 वर्ष सीधी भती द्वारा लागू नहीं स्थायी किए जाने के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए लागू नहीं 1. उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना)-सदस्य 3. उपसचिव (प्रशासन) द्वारा जामित किया जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अमुधीका ती / अनुधुवित जनजीति का 	 2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लागू नहीं स्थायी किए जाने के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए लागू नहीं 1. उपसवित (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अत्रर सचित 3. उपसवित (भ्रशासन) द्वारा नामित किया जाने वाला अवर सचित स्तर का एक औधकारी - सरस्य अधिकारी - सरस्य 4. अनुपूचित जाति / अनुपूचित जनगति का 	 2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लगगू नहीं स्थायी किए जाने के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए लागू नहीं मुख्यालय के लिए तागू नहीं मुख्यालय के लिए तागू नहीं मुख्यालय के लिए तागू नहीं अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष (प्रशासन/स्थापना)-सदस्य (प्रशासन/स्थापना)-सदस्य अधिक या जाने वाला अवत्य सीवव (प्रशासन) द्वारा नामित किया जाने वाला अवत्य सीवव (प्रशासन) द्वारा नामित किया जाने वाला अवत्य सीवव (प्रशासन) द्वारा नामित किया जाने वाला अवत्य क्ष अप्रिक्ष जाति / अगुसूचित जाति / मदस्य (जो अवत सीवव का मविव सिर का सवेव का स्वर्य त्य का सवय का 	 2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लग्गु नहीं स्थायी किए जाने के लिए लगगु नहीं मुख्यालय के लिए लगगु नहीं मुख्यालय के लिए लगगु नहीं मुख्यालय के लिए (भ्राप्तान) - उपसविव (भ्राप्तान) - करप्रध अध्यक्ष 3 उपसविव (भ्राप्तान) - सदस्य 3 उपसविव (भ्राप्तान) - सदस्य 3 उपसविव सरा का एक अधिकारी - सदस्य का एक अधिकारी - सदस्य का स्क अधिकारी - सदस्य का स्क अधिकारी - सदस्य का स्क संस्क म सरा का नहीं से कम सरा का नहीं से कम सरा का नहीं से कम सरा का नहीं के लोगी - सदस्य होगा) - सदस्य होगा) - सदस्य 	2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लगू नहीं स्थायों किए जाने के लिए लगा नहीं मुख्यालय के लिए लगा नहीं मुख्यालय के लिए लगा नहीं मुख्यालय के लिए लगा नहीं 1. उपसरिव (प्रशासन) - अध्र सीवव (प्रशासन/स्थापन) - सरस्य 3. उपसरिव (प्रशासन) - सरस्य अधिकारी - सरस्य की कम सार का नहीं सैकीय सीति के लिए	2 बर्ष सीधी भर्ती द्वारा लगा नहीं स्थायी किर जाने के लिए लगा नहीं मुख्यालग के लिए जम्मनित (भ्रासन) - जम्प्रक्ष 1. उम्मनित (भ्रासन) - जम्प्रक्ष 3. उम्मनित (भ्रासन)-सदस्य 3. उप्प्रनित (भ्रासन)-सदस्य 3. उप्प्रनित (भ्रासन) द्वारा जनित किया जाने वाला अवर सनिव स्तर का पत्क अभिकारी - सरस्य संस्तर्थ (जो अतर सनिव से कम स्तर का नहीं होगा)- सदस्य क्षेत्रीय समिति के लिए	 2 चर्ष सीधी भर्ती द्वारा लगगू नहीं स्थायी किए जाने के लिए लगगू नहीं मुख्यालय के लिए लगगू नहीं मुख्यालय के लिए लगगू नहीं 1. उससीवव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सीवव (प्रशासन) द्वारा (प्रशासन) द्वारा जामेत किया जाने वाला अवर सीवव सरा का एक अनुसुतित जान वाला अवर सीवव सरा का एक अनुसुतित का सांता के का स्तर स्था (के अवर सीवव से का स्वर के स्वर का स्वर के स्वर का संवर का स्वर का संवर का संवर का स्वर का स्वर का संवर का स्वर का संवर का स्वर का संवर का स्वर का स्वर का स्वर का संवर का संवर का संवर का संवर का स्वर का संवर का का का संवर का संवर का का	 2 वर्ष सीधी भर्ती हारा लग, नहीं स्थायी किए जाने के लिए लगू नहीं मुख्यालय के लिए लगू नहीं मुख्यालय के लिए लगा न न अध्यक्ष 2. अत्यर सीवव 2. अत्यर सीवव 2. अत्यर सीवव (प्रलासन / स्थापन) - सरस्य अधिकारी - सरस्य अधिकारी - सरस्य अधिकारी - सरस्य सीवित का सिवि से कम सरा का सही होगी)- सरस्य होगी)- सरस्य 1. धेनीय सोमीत के लिए 1. धेनीय सोमीत के लिए 2. क्षेतीय सोमीत मे अवरा सविव- सरस्य 	 2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा लगू नहीं स्थावी किर जान के लिए लगा नहीं मुख्यालय के लिए जागू नहीं मुख्यालय के लिए ।. उपसतिव (प्राप्तन) - अध्यक्ष (प्राप्तन) - अध्यक्ष (प्राप्तन) - अध्यक्ष (प्राप्तन) को जाल / अध्यक्ष ते वाल असुधित जाने जाल / अनुपुरित जाने / अनुपुरित जाने / अनुपुरित जाने न नहीं से कम सतर का नहीं होगा) - सरस्य के लिए सिनिन सरस्य 1. क्षेत्रेय सीमिति के लिए सिनिन सरस्य के लिए सिनिन सरस्य के लिए सिनिन सरस्य जाते / अनुपुरित जाने जाल / अनुपुरित जाने जाल / अनुपुरित जाने न नहीं से कम सतर का नहीं होगा) - सरस्य कि में अन्य सीनिन सरस्य ते अवत सीनिन सरस्य ते अवत सीनिन सरस्य ते अनुपुरित का सिनिन सरस्य के अपत 	 2 बर्ष सीधी भर्ती द्वारा लगगू नहीं स्थाली किए आतालन) - सुख्यालय के लिए 1. उपसर्विव (प्रतासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन/स्थानन)- सदस्य 3. उपसर्विव लाला अवत सचिव संदर्भ (वो अवत सचिव संदर्भ (वो अवत सचिव संतर्भ (वो अवत सचिव संतर्भ (वो अवत सचिव भौत तिरंजत - आध्य 9. भौती तिरंजत - आध्य 1. भौती तिरंजत - आध्य 2. भौतीय समिति के लिप 1. भौती तिरंजत - आध्य 3. उपसर्विव (भ्राप्तमा) / सत्तय 3. उपसर्विव (भ्राप्तमा) / अत्रत सविव- सत्तव 	2 वर्ष सौधी भर्ती हाग लग, नहीं स्थानी किए जाने के लिए लग, नहीं मुख्यालग के लिए लग, नहीं मुख्यालग के लिए लग, नहीं अध्य सार्वित (प्राप्तन) हाग अध्य सार्वित (प्राप्तन) हाग अस्ति किया जाने अ असुस्तित जान नहीं के कम स्तर का नहीं की सामिति के लिए 1. की सी तिरेशक - अध्य क्ष की सामिति के लिए 1. की सी तिरेशक - अध्य क्ष की सामिति के लिए 1. की सामिति के अस वार्वान सरम सार्वित हाग नीति किया को वाला अस सार्वत

		8	अन्तिर्य	i. किसी मान्यताप्राप्त	<u>जोर्ड</u> /विश्वविद्यालय	से 12वीं कक्षा	पास अथवा इसके	समकल	ii. डाटा एन्ट्री कार्य	में 8000 की	डिप्रेशन प्रति घण्टे	से कम को गति	न हो ।		रिपाणीः हारा एन्ट्री	कौर्य में 8000 को	डिंग्रेशन प्रति घण्टे की
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अन्तर सचित से कम स्तर का नहीं होगा) - सदस्य	i θ τ	7	18 से 27 वर्ष	मे बीच	•	टिप्पणी : आयु	सीमा का निर्धारण	करने के लिए	निर्णायक तारीख	भारत में आवेदन	पत्रों की प्राप्ति	को अन्तिम	तारीख होगी	(और वह अन्तिम	तारोख नहों जो	कि असन असन	मेघालय,
4. अनुसूचित अन्तताति का नहीं	र्ती चिनियम	9	लागू नहीं						•	•				-			
	पद के लिए प र्ती दि नियम		लागू नहीं							-	-	•					
	ढाटा एन्ट्री आपोटर के	nanonomina and and and and and and and and and a	¥ 4000-100-6000		2	*							è				
· · ·	हारा	n	समूह 'ग'	गैर-मंत्रालयी							· ·						¢
		2	1(2003)*	कार्यभार के	अनुसार	परिवर्तनीय											
	-		डाटा एन्ट्रो	आपोटर					¥	ž					5		

;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

परीक्षा को जांच संक्षम	प्राधिकारी हात ईडीपी	मक्षीन (मन्नीनो) पर	गति परौधा लेकार की	जाएगी ।	*									
	ਜਾਸਕੈਂਪਣ, ਜਿਧੂਧ,	सिकिकम, जम्मू		राज्य का लर्दाख	प्रभाग, हिमाचल	प्रदेस के लाहोल	त्त्वा स्पोति और	चम्बा किंतो.	अण्डमान निकोबार	द्वीपसमूह अथवा	तसद्वीप क	अभ्यार्थियों क	लिए निर्धारित की	·
•			,		•******				æ			4		*
÷				MARASIMA SA					#			• 		
			÷	٩		a		И	,		¥	,		-
				********							*			
		57												
¥		R		*		-	-	÷		's				

[भाग]]]—खप्पन्न 4]

19

.

,

÷

ó	10	******	12	13	14
लागू नहीं	न् वर्ष	सोयी भरतों	म्मू सम्	स्थायी किए जाने के लिए 1. उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना) - सरस्य 3. उपसचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य का एक अधिकारी - सदस्य का एक अधिकारी - अनुसूचित वनजाति का सदस्य (जो अवर साचिव से कम स्तर का नहीं होगा)- सरस्य	तागू सही
		कनिष्ठ लेखाकार (उच्च	(उच्च श्रेपी लिपिक) के पद के लिए भर्ती विलियम	के लिए भती विनियम	
		3	uð	6 7	000
कनिष्ठ लेखाकार (उच्च भ्रेणी लिपिक)	5(2003)* कार्यभार के अनुसार परिकर्तनीय	समूह 'ग' ह 4000- मंत्रालयो	4000-1006000 चयन एवं वरिष्ठता	रुता नहीं लागू नहीं	तागू नहीं
ō	10	-	12		4
् लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा ओर ऐसा न होने पर पतिनियक्तित			लागु नहीं

- <u> </u>		
• •	-9 	द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत निकायों/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों,	सेवा पूरी कर ली है । दिप्पणी : जब ऐसे कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किंगा जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उनके चरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशतें कि उनकी अर्हक / पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न रह नई हो और जिन्होंने ऐसी अर्ह्तक / पात्रता सेवा पूरी कर लेने वाले अपने कनिष्ठों सहित अगले उच्चतर प्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीधा को अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	। ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने इस ग्रेड में आठ वर्षों की नियमित
	<u>به</u> به	2. अवर सचिव (प्रशासन⁄स्थापना) -
		•

835 CI/03-6

Internet : Repair in the solution

17

:

, '

		THE GAZEFTE OF INDIA : E	· · ·	PART III
		· , ·		,
	-			
			<i>.</i>	·
			• ور	
		<i>4</i>		
				a de la companya de l
	T T	द्य		
वपा कारी	(i) जो कि मूल संवर्ग/विभाग में सादृश्य पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा	(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में ग्रेड में रु 3050-4590 अथवा समतुत्य वेतनमान में निर्यामित आधार पर निर्युकित के बार उस ग्रेड में 8 वर्ष की निर्यापत सेवा कर ली हो; तथा	 (ख)जो निम्न अर्हताएं/अनुभव रखते हों: (i) रोकड्, लेखाओं और बजट (i) रोकड्, लेखाओं और बजट कार्य का तोन वर्ष का अनुभव; तथा 	जेल पर के बोर संचार जैद्योगिकियों के प्रयोग में सुविधा
साावायक, अरू-सरकारा अथवा अन्य संगठनों के ऐसे अधिकारी	जो कि मूल सं <i>वर्ग/</i> विभाग सादृश्य पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों,	जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में ग्रेड में रु 3050-4590 अथव समतुत्च वेतनमान में निर्यामित आधार पर निर्युकित के बार आधार पर निर्युकित के बार उस ग्रेड में 8 वर्ष की निर्यापत सेवा कर ली हो; त	जो निम्न अर्हताएं/अनुभव रख हों: (i) रोकड्, लेखाओं और बर कार्य का तोन वर्ष का अनुभवः तथा	जेल पर के संचार वैसी सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के प्रयोग सुविधा
÷.	. संबग पर (कार्यरत	संबर्ग 1050- (1050-	र्हताएं/ लेखाओं तथा उखा	न स
ुं1ि उ	म म म	म् भूम् भूम् भूषा	निम्न अर्हताएं रोकड्, लेखाः कार्य का तोन अनुभवः तथा	्रेसी सूर जैसी सूर प्रौद्योगिकि सुविधा
^{धक} , संगठ	बो कि सादृश्य प्राधार	जन्होंने हि में मितुत्स गधार स्वपित	최 국립 국립 - 국립 (1) - 화 국립 - 국립 (1)	
साव अन्य	9 4 4 9	Lind of a start the line of th	(ख)ज 1 ()	• • •
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	-	· · ·		
	·		*	
`	*		,	
	×	<u></u>	· · ·	
		v		-
	, 1			
	······································			

THE GAZEFTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

। [गिर्गड़ हिम काशीस मि के के दिन कि कि मिने कि म्गोप कि हिम न्द्र्य्नार (क्रोम आवेसीमा (अल्कालीन संविदा मुक्तके में जिममें के किंगुली 🖓 भारत का राजपत्र : असाधारण एमइ हम्हीप्रमिति । है किकम ारू ाल्की विक स्टांग काशीर र्भ तन्मीर जनाइन भे तीमझम कि म्हापंक्ष जिन्न मिंह प्राथव ग्राह्म मिली गिर्मि किमि कार्योध में के ह : इस्नामाम श्रीकार कि हम्हीप्रमिति कडीम (हडीम ाञ्चीम मिलक्लम्लस्) मीनस् कि हर्कालाहय पर में प्रतिनियुक्ति तत्कालपूर्व धारित किसी म क्रमीप्रिंग मंग्र में गामवी करतां में ज्सी अथवा किसी उत्त क प्रकाम हथारे राकाम हरित्क]

요|

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	। यत्त्र केली				עו (יי		7	8
10 11 12 13 सौधी भर्ती के लिए 75% सौधी भर्ती द्वारा पदोन्नति 12 13 2 वर्ष तथा 25 प्रतिश्वत पदोन्नति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 1. उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 1. उपसचिव (प्रशासन) - दारा 2 वर्ष तथा 25 प्रतिश्वत पदोन्नति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 1. उपसचिव (प्रशासन) - दारा दारा 2 वर्ष हारा परिषद के समूह 'च' के सेस कर्मचारियों में से जिनके पास 2. अत्र सं हारा सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (प्रशासन/म्थापन) - राधरे	ل ل ل				वरित्ता वरित्तना	में से	(27 वर्ष के जीन ति : आगु सीमा का निर्धारण करने लेए निर्णायक तारोख भारत में न पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम होगी (और वह अन्तिम तारीख होगी (और वह अन्तिम तारीख होगी (और वह अन्तिम तारीख नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्तिकम, जम्म नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्तिकम, जम्म ता प्रदेश के लाहोल तथा स्वीति बच्चा जिले, अण्डमान निकोबार ह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों ए निर्धारित की गई है)।	·····································
10 11 12 13 सौधी भार्ती के लिए 75% सौधी भार्ती द्वासा तथा 25 प्रतिश्वत पदोन्नति तथा 25 प्रतिश्वत पदोन्नति हारा पद्वीन्नति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 1. 13 2 वर्ष हारा तथा 25 प्रतिश्वत पदोन्नति तथा 25 प्रतिश्वत पदोन्नति हारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 1. उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2 वर्ष हारा हारा पर्तिंबर के समूह 'घ' के रोस कर्मचारियों में से जिनके पास 2. अत्रस स' हारा कर्मचारियों में से जिनके पास 2. अत्रस स'								
सांधी भारी के लिए 75% सीधी भर्ती द्वास पदोन्नति मुख्यालय के लिए 2 वर्ष तथा 25 प्रतिश्वत पदोर्न्नति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा १. उपसचिव (प्रशासन) - द्वारा वर्ताचरियों में से जिनके पास 2. अत्रर स्र सोधी भर्ती के लिए निर्धासित (प्रशासन/प्रधापना) - सटस्य		5	10			12	13	14
परिलद के समूह 'घ' के रोसे कर्मचारियों में से जिनके पास 2. सीथी भर्ती के लिए निर्धारित	गनु : न विक अ		सोपी भर्ती 2 वर्ष	मि	सीधी भर्ती द्वारा प्रतिश्वत क्लेन्नति	पदोन्नति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा	Hone	लाम् स्टब्स्
				<u>ĝ</u> tt		परिचर के समूह 'घ' के एंसे कर्मचारियों में से जिनके पास सोधी भर्ती के लिए निर्धारित	<u> (1</u>	

के लिए भर्ती विनियम अवर श्रेणी लिपिक के पद

44

		ſ	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हों	· /	×.
			और जिन्होंने समूह 'घ' पद	. नामित किया जाने वाला	
			'पर 5 वर्ष की नियमित सेवा	अवर संचिव स्तर का एक	
			की हो ।	अधिकारी – सदस्य	
۲				4. अनुसूचित जाति /	
. "			टिप्पणी : जब ऐसे कनिष्ठों	अनुसूचित जनजाति का	
		-	की पदोन्नति पर विचार	सदस्य (जो अवर सचिव से	
			किया जा रहा हो जिन्हों ने	कम स्तर का नहीं होगा)-	¢.
			अपनी अर्हक सेवा पूरी कर	सदस्य	
			ली है, उनके वरिष्ठों पर भी	_	
			विचार किया जाएगा बशर्ते	क्षेत्रीय समिति के लिए	
			कि उनको अर्हक / पात्रता	1. क्षेत्रीय निदेशक -अध्यक्ष	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		सेवा, आधी से अधिक	2. क्षेत्रीय समिति में अवर	·
• •	Í		अर्हक / पात्रता सेवा अथवा	सचिव -सदस्य	.
			दो वर्ष इनमें से जो भी कम	3, उपसचिव (प्रशासन)⁄ सदस्य	•
			हो, से कम न रह गई हो	सचिव द्वारा नामित किया	
			और जिन्होंने ऐसी अईक 🗸 🖞	जाने वाला अवर सचिव	
			पात्रता सेवा पूरी कर लेने	स्तर का एक अधिकारी -	
			वाले अपने कनिष्ठों सहित	सदस्य	
			अगले उच्चतर ग्रेड में	4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित	
			पदोन्नति के लिए परिवीक्षा	जनजाति का सदस्य (जो	
			की अवधि सफलता पूर्वक	अवर सचिव से कम स्तर	
		•	पूरी कर ली हो ।	का नहीं होगा)- सदस्य	
		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. ,	
	ļ l		·		-

·

.

46		THE GAZETTE OF INDIA : EXTR	AORDINARY []	PA
	8	अनिवार्थ । मोटरकार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस 2. मोटर यॉत्रिकी का ज्ञान (वाहन में प्रामूली खराबी को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए) । 3. मोटरकार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव तोन वर्ष का अनुभव वांछनीय 1. मिंडिल कक्षा पास 2. होमगार्ड/ सिंविल स्वयंसेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा कर रखी हो ।	के लागू नहीं	
नियम		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	स्थायो किए जाने के रिया . उपसविव । अन्नासन)-अभ्यक्ष	
फ कार ड्रोइवर के पद के लिए भर्ती विनियम	2	18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पणी : आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख भारत करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में आचेद्दन पत्रों की प्रापित को अन्तिम तारीख होगी (और वह अन्तिम तारीख तारीख होगी (और वह अन्तिम तार् सांक्रिकम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लिहाल तथा स्पोति और चम्बा जिले, आज्द्रपान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षहीप के अभ्यधिंतों के लिए निर्धाति की गई है)।	12 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित)/ विलयन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के समह 'घ' के ऐसे	
कार ड्रोइवर के	.	मध् मध्	द्या , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
स्टाफ व	5	म्ध्र मध्र	11 प्रतिनियुक्ति (अल्पका संविदा सहित)/ पुनर्नियुक्तित/ विलयन अन्यथा मौध्री भर्ती	-
, •	4	т а <u>3050-75-</u> 3950-80-4590	2 वर्ष	
		समूह 'ग' मेर-मंत्रालयी •		
	. 2	3 (2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	लागू नहीं	
	-	स्टाफ डाइवर्		

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART JII-SEC. 4]

				·			 r			<u>(1</u> - 404			भसाच 					<u>. </u>			
	×						x														
	म् <u>म</u>)-			7	<u>बा</u> ने	•	L		_	ਜੇ	जाति	म म	• •	नहीं					 , .		
अवर सचिव	(प्रशासन∕ स्थापना)-	मत्स्य	उपसन्दिव	(प्रशासन) द्वारा	नामित किए जाने	वाला अवर	सनिव सार का	एक अधिकारी	सदस्य	अनुसुचति जाति ,	र्रे. अनुसूचित जनजाति	का सदस्य (जो	अवर सचिव से	कम स्तर का नहीं	होगा)- सदस्य			·			
고 	Ĕ.	म म 	3. 3 1	<u>म</u>	मा	वात	सन्	एक	सट	4 अनुर	अनुस	F	अवर	के म	قاس			x			
হা	۲	मैंग -	तपूर्व	न्युत्ति /	होने		म वर्ष	रिजर्व	जाना	अपेक्षित	भहंताएं	विचार		ीख	llin I	खि को 		 Anc	र्नियोजन	बा आ	
न्तारिया म	जिनके पास मोटर कार	चलाने का वैध द्वाइतिंग	हो । भूत	सैनिक के लिए प्रतिनियुक्ति	पुनर्नियुक्ति सेवानिवृत होने	वाले सशस्त्र सेनाओं के	कार्मिकों या जिन्हें एक वर्ष	को अवधि के भीतर रिजर्व	में स्थानान्तरित किया जाना	हो और जो निर्धारित अपेक्षित	अनुभव तथा श्रैक्षिक अर्हताएं	रखते हों, उन पर भी विचार	æ-	व्यक्तियों को उस तारोख	तक प्रतिनियुक्ति का लाभ	दिया जाएगा जिस तारीख	उन्हें सशस्त सेवाओं से	कार्यमुक्त किया जाना है	इसके पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन	के आधार पर जारी रखा जा	
नियामत कमचारियों में से	नके पास	नाने का	इसेंस	नेक को 1	र्नियुक्ति से	ले सश्चास्त्र	र्मिको या	अवधि	स्थानान्तरि	और जो	भव तथा	ने हो, ध	किया जाएगा । ऐसे	क्तयों को	प्रतिनियु	। जाएगा	सश्चास्त्र	मिक्त कि	हे पश्चात	आधार प	सकता है।
<u> </u>	ন্র	<u>च</u>	<u>ज</u>	表	F	चा	- 	ਚੈ	म 	ان ة ا	E.	- 	कि	त्र्याः	- - -	त् य	3	कार	इसव	16	संक
										`											
											-										
															,						
							.`													-	


<u>[भाग III—खण्ड</u> 4]

:

										****			 		•••					
œ	अनिवार्य कक्षा मिडिल पास	<u>वांछनी</u> य किसी विरड्यात				डुप्लीकोटिंग मशीनों	आदि पर काम करने	का आन	7				 *	लागू नहीं				,,		
<u>6</u>	18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पणी : आयु सोमा का निर्धारण	करने के लिए पिर्णायक तारीख भारत में आवेदन पत्रों की प्राप्ति	क्ती अन्तिम तारीख होगी (ओंर वह	अन्तिम तारीख नहीं जो कि असम,	मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्तिम, जम्मू	तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख	प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल	तथा स्पीति और चम्बा खिले,	अण्डमान निक्तंचार होपसमूह अथवा	लसद्वीप के अभ्यधियों के लिए	निथौरित की गई है)।	13	स्थावी किए जाने के लिए	मुख्यालय के लिए	1. उपसचिव (प्रशासन)-	उगध्यक्ष	2. अवर सचिव	(स्थापना∕प्रक्षासन)-	सदस्य
ý	लागू नहीं		4							-		Ľ		लगा, नहीं	•	•			•	
•^	लाभू नहीं लि	•	•							-	.	•		संखे पर्ता हात						
4	₹ 2500-55- 2660-60-3200	,			****					÷			\$	रो वर्ष			×			
m)	सम्पूर्ह 'च' गैर-मंत्रालयो			•								2								
м	18 (2003)* कार्यभार के	अनुसार परित्वर्तत्रीय											 6	लाग् नहीं	í		•			
*	चपरासी/ फराश			m.																-

चपरासी/फराज्ञ के पर के लिए भर्ती विनियम

	का नहीं होगा)- सदस्य
	सचिव से कम स्तर
	का संदर्शन (व्यु) अवर
	जीतिर अनुसचित जनजाति
	र अर्नेसींख
	अस्मिती सदस्य
	कुप्र तक राजन कि सिक
	हारा नामित असर
	(प्रशासन)्सदस्त सम्बिच
10	3. उस मन्दित
	अवर धीमव-सरस्त
	2 झेत्रीय समिति में
	फ़िक्स-अन्द्रम्न इस्टिंग् ।
	ग्रानी के तीमीम एक्सि
	मदस्स (गर्मड हिम कि
	सनिव में कम स्थर
	संदस्त (व्ये अवर
	अनुमुचित जनवाति का
	 भर्नेसी्वव व्यापि
	अहिकारी-सदस्य
	स्वय पत्र भाष
	चाया अवर मीचव
	द्वारा नग्रीमत किंग् याने
	3. उस सम्बित (प्रशासन)



892 GI/03-7

विनियम
ਮੁੰਗੀ
त्तिप्
15
पर
作
चौकीदार

۰.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
æ	अनिवार्थ कक्षा मिडिल पास बोछ <u>नी</u> ष होफंस में 'बुनियादी' तथा 'पुनश्चर्या', पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण
2	18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पणों : आयु सोमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख का आंक्त आंख होगो (और वह की अन्तिम तारीख होगो (और वह अन्तिम तारीख नहों जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मेघालय, त्रिपुप, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पोति और चम्बा जिले, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लसद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)।
9	ताम् नहीं
5	त्तम् नहीं
4	を 2500-55- 2660-60-3200
E.	समूह 'च' गैर- मंत्रालयो
C1	8 (2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय परिवर्तनीय
	चौकीदार

.

-

•

[भाग]]][—खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : अस्तायारण

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	2 বর্ণ	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	स्थायी किए जाने के	लागू नहीं
				लिए	
				मुख्यालय के लिए	
				1. उपसचिव (प्रशासन)-	
				अध्यक्ष	
				2. अवर सचिव	
				(स्थापना∕प्रशासन)-	
				सदस्य	
			×	3. उप सचिव	
				(प्रशासन) द्वारा	
		¢		नामित किए जाने	
				वाला अवर सचिव	
				स्तर का एक	
				अधिकारी-सदस्य	
				4. अनुसूचित जाति/	
	*			अनुसूचित जनजाति	
				का सदस्य (जो	
				अवर सचिव से	
				कम स्तर का नहीं	

٠

होगा)-सदस्य	क्षेत्रीय समिति के तिए	1. धेत्रौय निदेशक-अध्यक्ष	2. क्षेत्रोय समिति में	अवर सचिव−सदस्य	3. उप सचिव	(प्रशासन)/सदस्य	सचिव द्वारा नामित	अवर सचिव स्तर का	एक अधिकारी-	सदस्य	4. अनुसूचित	जाति⁄ अनुसचित	जनजाति का सदस्य	(जो अवा सचिव से	कम स्तर का नहीं	होगा)- सदस्य	

एस्. के. गॅंय, सदस्य~सक्तिज [विद्यापन111/1/131/2002/असा.]

,

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION New Delhi, the 27th March, 2003

F. No. 9-12/2002/NCTE.— In exercise of the powers conferred under Section 10(1) & (2) read with Section 32(2) (c) of National Council for Teacher Education Act, 1993 and with the approval of the Central Government the NCTE hereby makes the following Regulations for regulating the method of recruitment to all the posts other than those of Chairperson, Vice-Chairperson and Member Secretary in National Council for Teacher Education:-

1. <u>SHORT TITLE AND COMMENCEMENT</u>

- 1.1 These Regulations may be called National Council for Teacher Education (Recruitment) Regulations, 2003.
- 1.2 They shall come into force on the date of their notification.

2. <u>NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND SCALES OF PAY</u>

2.1 The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to this notification.

3. <u>METHOD OF RECRUITMENT, AGE-LIMIT AND OTHER</u> <u>QUALIFICATIONS etc.</u>

- 3.1. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
- 3.2. The appointments to posts equivalent to Group 'A' posts in the Government of India shall be subject to prior approval of the Government of India

i

54	THE GAZETTE OF INDIA: EXT	RAORDINARY	[Part III—Sec. 4]
3.3.	The age limit for direct recruitment NCTE employees.	is relaxable up to 35	years for

- 3.4. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Chairperson, NCTE in case of candidates belonging to SC/ST, if at any stage of selection, the Chairperson, NCTE is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these categories possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
- 3.5. While considering appointments by contract, the requirement of requisite length of service in the scales prescribed in the column 12 of the Schedule shall not be applicable.
- 3.6. While filling up of posts on direct recruitment basis by inviting names from local employment exchange, such of the National Council for Teacher Education employees as fulfil the eligibility qualifications laid down in the recruitment rules shall also be given an opportunity for consideration.

4. **DISQUALIFICATION**

- 4.1. No person who -
 - (a) has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) having a spouse living has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the NCTE may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personnel Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. **FUTURE MAINTENANCE OF THE SERVICE**

- 5.1 All persons appointed on direct recruitment basis in accordance with any administrative instructions existing prior to notification of the Regulations shall continue in the substantive posts held by them.
- 5.2 All the appointments in the NCTE after the notification of these Regulations shall be made only in accordance with the provisions of these Regulations.

6. **POWER TO RELAX**

6.1. When the Council upon a recommendation made by the Chairperson to that effect, is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of posts or persons.

7. <u>SAVINGS</u>

7.1. Nothing in these Regulations shall affect reservations, relaxations in age-limit and other concessions required to be provided by NCTE for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

8. **INTERPRETATIONS**

8.1 Any question relating to interpretation of these Regulations shall be decided by Chairperson, NCTE, New Delhi.

SCHEDULE M

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DEPUTY SECRETARY/REGIONAL DIRECTOR

4

Name of post	No. of posts	classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection – cum seniority or non - selection – post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension rules), 1972		Educational and other qualifications required for direct recruits
1 Deputy Secretary/ Regional Director	2 7 (2003)* subject to variation dependent on workload.	3 Group 'A' Non- Ministerial	4 Rs. 12,000-375- 16,500* *These posts will be operated in the UGC scales applicable to Readers if they are occupied by incumbents who were in UGC scales prior to joining NCTE.	5 Not applicable	6 N.A.	7 N.A.	8 N.A.

Whether	age	and	Period	of	Method of	recruitment	In case of recruitment by	Composition of	Circumstance
educational	qualifi	cations	probation,	if	whether	by Direct	promotion / deputation /	Departmental Promotion	s in which
prescribed	for	direct	any		recruitment	or by	absorption grades from	Committee	UPSC is to be
recruits will	apply	in the			promotion	or by	which promotion /		considered in
case of prom	otees				deputation/al	bsorption &	deputation / absorption to		making rectt.
-					percentage o	f the posts to	be made		

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

		be filled by various methods			
9	10	11	12	13	14
N.A.	N.A.	By deputation(including	Deputation (including short	N.A.	N.A.
		short term contract).	term contract)		
			Officers under the Central /		
			State Govts. / Universities /	,	
	Market and a second sec		Recognised Research		
	and the second se		Institutions/Public Sector		
			Undertakings/Statutory,		
			Semi Govt., Autonomous		
			or other organisations		
			(a) (i) Holding analogous		
			posts on regular basis in		
			the parent cadre /		**************************************
			department; or		
			(ii) With 5 years regular		
			service in the grade		
			rendered after appointment		
			thereto on regular basis in		
	,		the scale of pay of Rs.		j ,
			10,000-15,2000 or		
4		* 	equivalent in the parent		
			cadre/department; and		
			(b) Possessing the		
		`	following qualifications /		
			experience:		
			i) Experience in		
			educational		
			administration in		

892 GI/03-8

		various Directorates	8
		of Education,	ļ
		SCERT, KVS,	
		NVS or such	
		school/educational	
		systems etc.; and	1
		ii) Knowledge in use	
		of information and	ļ.
	-	communication	
	· ·	technology such as	111
		handling data-base	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
,		management	N N
		system and use of	
		off-line and on-line	E
		electronic	비우
Ì		resources.	IZ
			Σ
		(Period of deputation	Q
		(including short term	Ę
		contract) including period	₿ IS
		of deputation (including short term contract) in	Ē
		another ex-cadre post held	X
		immediately preceding this	 2
		appointment in the same or	
	-	some other organization /	
		Department of Central /	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		State Govt. shall not	
		ordinarily exceed 4 years	
		which can be extended	PA
		maximum up to 5 years	17
		with the concurrence of the	[PART III—SEC. 4]
		lending organization. The	8
		maximum age limit for	

• · · · · ·

*

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[Part III—Sec. 4]

	appointment by deputation	
	(including short term	
	contract) shall be not	
	exceeding 56 years as on	
	the closing date of the	
	receipt of applications.)	Í

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF UNDER SECRETARY /RESEARCH OFFICER

1	2	3	4	5	6	7	8
Under Secretary/	14 (2003)*	Group 'A'	Rs. 10,000-325-	Selection-cum	N.A .	N.A.	N.A.
Research Officer	subject to	Ministerial	15,200*	seniority			
	variation						4
	dependent on		*These posts				
	workload.		will be operated				
			in the UGC				
			scales				
			applicable to				
			Lecturer if they				
			are occupied by				
			incumbents who				
			were in UGC				
			scales prior to				
,	,		joining NCTE.	,			

,

9	10	11	12	13	14
N.A.	N.A.	50% by promotion	Promotion	1. Chairperson-NCTE,	N.A.
		failing which by	Section Officer/Programme	Chairman	
		deputation (including		4	¢
		short term contract) / and		•	
		50% by deputation/		3. Member Secretary-	
		contract	regular service in the	-	
			grade.	4. One Member from	
				Ministry of HRD-	
			Note : Where Juniors who	Member.	
			have completed their	5. One Expert to be	
			qualifying service are	nominated by	
			being considered for	Chairperson -	
			promotion, their seniors	Member	
			would also have to be	6. Member belonging	
			considered provided they	to SC/ST to be	
			are not short of qualifying /	nominated by	
			eligibility service by more	Chairperson –	
			than half the qualifying /	Member	
			eligibility service or two	r	
			years, whichever is less,		
			and have successfully		
			completed their period of		
			probation for promotion to		
			next higher grade along		
			with their juniors who have		
			completed such qualifying		

¢

.

.

*

	/ eligibility service.	
	Deputation (including short	[भाग]]]—खण्ड 4]
	term contract)	
		18
	Officers under the Central /	
	State Govts. / Universities /	
	Recognised Research	
	Institutions/Public Sector	
	Undertakings/Statutory,	
, · ·	Semi Govt. Autonomous or	
	other organisations	
	outer organisations	
		* III
	(a) (i) holding analogous	
		1
	posts on regular	भारत का राजपत्र : असाधारण
	basis in the parent	1
· ·	cadre / department;	3
	or the second se	<u>ि</u> स
	(ii) with 5 years regular	स्
	service in the grade	
	rendered after	
	appointment thereto	
	on regular basis in	
	the scale of pay of	
	Rs. 8000-13500 or	
	equivalent in the	
	parent cadre /	
	department; or	
	(iii) with 8 years regular	
	service in the grade	
	rendered after	
	appointment thereto	
	on regular basis in	
	the scale of pay of	

.

	Rs. 6500-10500/- or equivalent in the parent cadre / department and (b) Possessing the following qualifications / experience	ß
	(i) Experience in educational administration in various Directorates of Education, SCERT, KVS, NVS or such school/educational systems etc.; and	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
	(ii) Knowledge in use of information and communication technology such as handling data-base management system and use of off-line and on- line electronic resources.	
	(Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including	[PART III-SBC. 4]

	short term contract) in	
	another ex-c dre post held	
	immediately preceding this	
	appointment in the same or	
	some other organization /	
	Department of Central /	P
	State Govt. shall not	
	ordinarily exceed 3 years	
	which can be extended	
	maximum up to 5 years	
	with the concurrence of the	
	lending org nization. The	
	maximum age limit for	
	appointment by deputation	
	(including short term	
	contract) shall be not	
•	exceeding 56 years as on	
	the closing date of the	
	receipt of applications.)	
w draaddaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada		

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF SECTION OFFICER /PROGRAMME OFFICER

.

l Section Officer/Programme Officer	2 12 (2003)* subject to variation dependent on workload.	3 Group 'B' Ministerial		5 Selection cum N seniority	6 7 .A. N.A.	8 N.A.
9		10	11	12	13	14
N.A.	N.A.		50% by promotion failing which by deputation		 Member Secretary - Chairman Deputy Secretary(A 	

भारत का राजपत्र : असाधारण

contract) and (ii) 50% by limited departmental		 Member One Expert to be nominated by the Member Secretary – Member Under Secretary (Estt./Admn.) – Member Member belonging to SC/ST(Not below the rank of Under Secretary) to be nominated by the Member Secretary – Member 	64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
	Examination From amongst Assistants, Stenographers Grade 'C' and Technical Assistants with 5 years regular service in the grade in NCTE. (iii) Deputation (including short term contract)		[PART II] SEC. 4]

.

.

	Officers under the Central /	(भाग [1]
	State Govts. / Universities /	
	Recognised Research	
	Institutions/Public Sector	<u>a</u>
	Undertakings/Statutory,	1 1 1
	Semi Govt. Autonomous or	
	other organisations	
	(a)	
	(i) holding analogous	
	posts on regular	
	basis in the parent	·
	cadre / department;	
	or	
	(ii) with $3/5$ years	·
	regular service in	- -
	the grade rendered	भारत को राजपुत्र
	after appointment	
	thereto on regular	अम्
	basis in the scale of	
1	pay of Rs. 5500-	and the second
	9000/Rs.5000-8000	
	or equivalent in the	3
	parent cadre /	
	department; and	
	(b) Possessing the	
	following	
	qualifications /	
	experience :	
		i de la constante de
	i) Experience in	
	educational	
	administration in	
	various Directorates	
	of Education,	

892 Gi/03--9

		SCERT. KVS.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
		NVS or such	ι, · · · ·	
	-	school educational		
	5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	systems etc.; and	121 141 141 141 141 141 141 141 141 141	
	· 8			
	•	iii knowledge in use		
	• •	of information and		
		communication		
		technology such as		
		bandling data base	1	
		management		
				1
		system and use of		2 2
		off-line and on-line		j A
		electronic		
	- F	resources.		l
				3
		(Period of deputation		j
	1	(including short term		•
		contract) including period		l
		of deputation (including		į
		short term contract) in	1 18	
		another ex-cadre post held		
		iromediately preceding dus		1
		appointment in the same or		:
		some other organization /		
		Department of Central /	and a second	
		State Govt. shall not		
		ordinarily exceed 3 years		
•		which can be extended		
		maximum up to 5 years		
		with the concurrence of the	1	
		lending organization. The	PART III wash	
		maximum age limit for		
		appointment by depenation		
		fincluding short term	4	

i .

	······································		analahahahan alam inana ina analahan alam inang gaga antaina da inang ang inang ina	
		contract) shall be not		\$
e		exceeding 56 years as on		1
		the closing date of the		ł
		receipt of applications.)		9
interes "	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · ·	я.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF SENIOR PERSONAL ASSISTANT

1	2	3	4		6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
Senior Personal	3 (2003)*	Group "B"	Rs. 6500-200-	Selection cum	N.A.	N.A.	N.A.
Assistant	subject to	Ministerial	10.500	seniority			•
•	variation			·		l l	
	dependent on			P P		d - selection of the se	
	workload.			، ۲	γ	- The second secon	
		u - nu -				5 · · · · ·	4
		1		2 			
	1	10	1 1	17		13	14
<u>y</u>			namotion faili	Promotion		Member Secretary-	N.A.

9	10	11	12	13	14
No	N.A.	By promotion failing	Promotion	I. Member Secretary-	N.A.
			Stenographers Grade C in	Chairman	
			the NCTE with 6 years of		

‡″

5

,,

	contract).			
		regular service in the grade.	(A) Member One Representative	
	5. 	Nute Where Juniors who	of the Ministry of	
		ompleted their	HRD – Meinber	
		scrittiging service are being 4	r	i. Minuti A
		ed for promotion,	(Admn./Estt.) -	Li Pred Liu
		sentors would also	Member	
		to be considered 5	1	
		wided they are not short	to SC/ST (not	
		qualifying / eligibility	below the rank of	c Windowski .
	2 4	service by more than half	Under Secretary) to	
l.		the qualifying / eligibility	be mominated by	р,
€.		service of two years,	Member Secretary -	
		whichever is less, and have	Member	1
		successfully completed their		P
		period of probation for		
		- promotion to next higher		
	Ţ.	grade along with their		
		juniors who have completed		
		such qualifying / eligibility	4 	
		service.		
		Deputation (including short)		,,t.,=≣å\$bink
		term contract)	- Andrew State	tale
			i. F	anna an Saintean Sain
•		Officers under the Central /	, ,	340HHH
		State Govts. / Public Sector	Î	Harberton author
		Undertakings / Statutory,		- casheary
		Semi Govt. Autonomous or		S.A. Stephen
		other organisations		r :
C		(a)	ĺ	, i tra a la companya da la companya
		(i) holding analogous	ŕ	645
		posts on regular		Taricia - Ang Dinak
		basis in the parent cadre / department;	: *	vy (Ard and Brite) - Be an argumán ar a the sec

.

	 or (ii) with 3/6 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000/ Rs.5000-8000 or equivalent in the parent cadre / department; and (b) Possessing the following qualifications / experience (i) a speed of 120 words per minute in English / Hindi Stenography (ii) knowledge in use of information and communication technology such as handling data-base 	भागे [[[खण्ड 4] भारत का राजपत्र । असंधारण
1.	communication technology such as	
	(Period of deputation (including short term contract) including period of	8

'

~				deputation (in	cluding short		
				term contract) i	in another ex-		
				cadre post held	ionnediately		
	le l			preceding this		*	
				in the same o	1		
	an			organization /			
				of Central / Sta			
				not ordinarily			
*				years which	h		
				extended maxi			
			۴.	years with the			-1000 June - + + - 44
				of the leading			t.
				The maximum			
٠				appointment b	- ×		
		viter v mark		(including sha	short term		
				exceeding 56 y			an a
				closing date of			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
				applications.)	DR ICCOPTOR		
	<u>.</u>	l	an.m.m.an.m.	E - Martin Branch and a state of the state		······	
*		RECRUITM	ENT REGULATIO	ONS FOR THE PO	ST OF ACCOL	NTS OFFICER	2
]	2	1 3	4		6	L 7	
- <u></u>	1 (2002) \$	Crosse '0'	De 7450 225	ΝA	ΝA	IN A	NA

1 Accounts Officer	2 1 (2003) * subject to variation dependent on workload.	3 Group 'B' Non- Ministerial	4 Rs. 7450-225- 11,500	5 N.A.	6 N.A.	7 N.A	8 N.A.	а интернотори с
9 N.A.	N.A.	10 . By sho	l l deputation(includi art term contract)	ng <u>By</u> deputat short term coot	ion(including ract)	13 N.A.	14 N.A.	

Officers under the Central 7	1
State Govis. / Public Sector	
Undertakings / Statenory,	۲ ۲
Semi Govi. Autonomous or	r I
other organisations	r.
(a)	
(i) holding analogous	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
posts on regular	5 1 2
basis in the parent	
cadre / department;	
OT .	1
 (ii) with 5 years regular	
service in the grade	• (
rendered after	
appointment therete	9
og regular basis in	<u>/</u>
the scale of pay of	
Rs 5500-9000 or	t lange
equivalent in the	
parent cadre	
department. and	·
(b) Possessing the	
following qualifications	ļ.
* XPTIEBE	1
A in the SAS or	
equivalent examination	전 11월 27
conducted by any of the	
organised Accounts Depuis.	
of the Central Govt.	 Summary Control of C
OR	

•

.

-	3	Successful completion of	
		training in the Cash &	
		Accounts work in the ISTM	
		or equivalent and	
		experience in Cash.	
		Accounts & Budget work.	
;		(Period of deputation	
;		(including short term)	
	:	contract) including period of	i
1		deputation (including short	
		term contract) in another ex-	
		cadre post held immediately	
· .	,	preceding this appointment	
		in the same or some other	
	!	organization / Department	,
1		of Central / State Govt. shall	
	1	not ordinarily exceed 3	
		years which can be	
		extended maximum up to 5	
	1 J	years with the concurrence	
•		of the lending organization	
	1	The maximum age limit for	
	i	appointment by deputation	
4	1	(including short term	•
- Anna ann	í L	contract) shall be not	
s A	i	exceeding 56 years as on the	5
	!	closing date of the receipt of	
		applications.)	

•

٠

٠

.

.

.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF COMPUTER PROGRAMMER-CUM-PLANNING & MONITORING OFFICER

1	2	3	4	5	6	7	8
Computer Programmer-cum- Planning & Monitoring Officer	variation	Group 'B' Non- Ministerial	Rs. 6500-200- 10,500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

9	10	I 1	12	13	14
N.A.	N.A.		Deputation (including short	N.A.	N.A.
		short term contract) /	term contract)		
1		promotion			
1			Officers under the Central /		
			State Govts:/		

l|3

Bodies / Public Sector	74
Undertakings/Statutory,	
	日田
	G
	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
	ιü
$\mathbf{B}_{\alpha} 5500 0000/$	
	A
	Ĭ
	_ ≺
	[]
	[Part II]Sec. 4]
	🕂
	l l S
	<u>0</u>
	Semi-Government or other organisations (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with 3/6 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.5500-9000/ Rs.5000-8000/- or equivalent in the parent cadre/department; and : (b) Possessing the following qualifications / experience : (i) BCA or equivalent certification of DOEACC. (ii) Three years experience of software development for data-base management, Web

.0

		designing and	· ·
		system management	
		of local area	
	*.	network.	•
		(The departmental	
		Technical Assistant	
		possessing the qualifications	
		prescribed above will also -	
		be considered and in case	
		s/he is selected, the post of	
975. <u>100000000000000</u>		CPPMO shall be deemed to	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		be filled on promotion.)	
·		•	
		(Period of deputation	
5		(including short term	
1		contract) including period of	
		deputation (including short	
		term contract) in another ex-	
		cadre post held immediately	
		preceding this appointment	
		in the same or some other	
		organization / Department	-
		of Central / State Govt. shall	
		not ordinarily exceed 3	
		years which can be	
		extended maximum up to 5	
-		years with the concurrence	
•		of the lending organization.	÷.
		The maximum age limit for	*
		appointment by deputation	
		(including short term	
		contract) shall be not	
	{	exceeding 56 years as on the	
	Į	closing date of the receipt of	
		epplications.)	

,

•

1	2	3	4	5	6	7	8
Librarian-cum- Documentation and Production Officer	1 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'B' Non ministerial	Rs. 6500-200- 10,500	N.A.	N. A .	N.A.	N.A.

9	10	1]	12	13	14
N.A.	N.A.	By deputation (including short term contract)	By Deputation (including short term contract)	N.A.	N.A.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF LIBRARIAN -CUM-DOCUMENTATION AND PRODUCTION OFFICER

Officers under the Central / State Govts. / Universities / Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Statutory, Semi Govt., Autonomous or other Organisations	[भाग II]—खण्ड 4]
 (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with 3/6 years 	भारत
regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.5500-9000/5000- 8000 or equivalent	भारत का राजपत्र : असाधारण
in the parent cadre / department; and (b) Possessing the following qualifications / experience : Essential	
(i) At least a second class Master's Degree from a recognised university	π

		(ii) A degree in Library	
		recognised	
		university.	
		(iii) 5 years experience	
		as Librarian / Asstt.	
	, ,	Librarian /	
		Documentation Asst.	
		in a reputed Library.	
		(iv) Knowledge of use of	
		information and	
		communication .	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
		technology such as	
ļ		handling of Library	
•		Software fordata	
		base management))F
		system and use of	
		off-line and on-line	
		electronic resources.	
		(v) Experience in use of	
		digital resources	RA
		such as CD-	
		ROM/Internet etc.	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			RY
		Desirable	
	ļ.		
	- de de	Knowledge of modern and	
		sophisticated methods of	
		documentation.	
		and prove as interests.	A
]		(Period of deputation	
ł		(including short term	Paart UI-Sec. 4
		contract) including period of	, SEC
		deputation (including short	

Υ.

term contract) in another ex-	
cadre post held immediately	
preceding this appointment	
in the same or some other	
organization / Department	- -
of Central / State Govt. shall	
not ordinarily exceed 3	
years which can be	
extended maximum up to 5	
years with the concurrence	
of the lending organization.	
The maximum age limit for	
appointment by deputation	
(including short term	
contract) shall be not	3
exceeding 56 years as on the	
closing date of the receipt of	
applications.)	<u></u>

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF JUNIOR ACCOUNTS OFFICER

1	2	3	4	5	ί 6 .	7	8
Junior Accounts Officer	5 (2003) * subject to variation dependent on workload.	Group B -Non ministerial	Rs. 5500-175- 9000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

9	10	11	12	13	14
N.A.	N.A.	By deputation(including short term contract)	By deputation(including short term contract)	N.A.	N.A.
			Officers under the Central / State Govts. / Public Sector		•

67

#1

	Undertakings / Statutory. Semi Govt., Autonomous or other Organisations
	(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department;
	or (ii) with 3/10 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000- 8000/4000-6000 or equivalent in the parent cadre / department; and (b) Possessing the following qualifications / experience
	basis in the scale of pay of Rs. 5000- 8000/4000-6000 or equivalent in the parent cadre / department; and
	(b) Possessing the following qualifications / experience :
	(i) three years experience of cash, account and budget work; and
	work; and (ii) facility in use of information and communication technologies . such as handling of data

- •

•

•

•

base management	
system.	
(Period of deputation	
(including short term	
contract) including period	
of deputation (including	
short term contract) in	
another ex-cadre post held	
immediately preceding this	
appointment in the same or	ļ
some other organization /	- I I I
Department of Central /	
State Govt. shall not	
ordinarily exceed 3 years	
which can be extended	
maximum up to 5 years	
with the concurrence of the	
lending organization. The	
maximum age limit for	
appointment by deputation	
(including short term	
contract) shall be not	
exceeding 56 years as on	
the closing date of the	
receipt of applications.)	

~

||**≊**

.

]	2	3	4	5	6	7	8
Assistant	8 (2003) *	Group 'C'	Rs. 5000-150-	Selection – cum	N.A.	Between 20 to	Essential
	subject to	Ministerial	8000	– Seniority		27 years	
	variation		l l				A degree from a
	dependent on		4. V			Note : The	recognised
	workload.					crucial date	-
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		for	equivalent
						determining	
						the age limit	Desirable
						shall be the	
						closing date	I. Two years
						of receipt of	· •
		a a a a a a a a a a a a a a a a a a a				applications	general
						in India (and	
						not the	
	,		ļ	•		closing date	stores /
			*	-		prescribed for	accounts in
						those in	Central / State
						Assam,	Govt.
		1				Meghalaya,	autonomous or
						Arunachal	other
		•				Pradesh,	1
							organizations.
						Nagaland,	

1

•

4

.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT

æ

		Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of State of Jammu and Kashmir.	2. Facility in Computer applications
		Lahul and Spiti and Chamba districts of Himachal Pradesh,	
		Anadaman Nicobar Islands or Lakshadweep)	

9	10	11	12	13	14
No	2 years for Direct Recruits	failing which by deputation (including short term contract) / and	Promotion UDCs in NCTE having eight years regular service in the grade.	 Member Secretary- Chairman Deputy Secretary (A) - Member Under Secretary (Admn./Estt.) - 	

.

||**ಜ**

	Note : Where Juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying / eligibility service.Deputation (including short term contract)Officers under the Central / State Govt. / Public Sector Undertakings / Statutory, Semi Govt., Autonomous or other organisations(a)	Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US) to be nominated by the Member Secretary – Member	84 THE GAZETTE OF INDIA - EXTRAORDINARY
	(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or		IPART III—Sec. 41

*

1

i.

	(ii) with 8 years regular		
	service in the grade		
	rendered after		
	appointment thereto		
	on regular basis in		
	the scale of pay of		
	Rs. 4000-6000 and		
	having 3 years		
	experience in		
	' general		
	administration /		
	establishment /		
	stores / accounts or		
	equivalent in the		
	parent cadre /		
	department; and		
	(b) Possessing		
	three years		
• •	experience in		
г	general admn. /		
	estt./ stores/		
	accounts.		
	(Period of deputation		
	(including short term		
	contract) including period of		
	deputation (including short		
	term contract) in another ex-		
	cadre post held immediately		
	preceding this appointment		
	in the same or some other		
	organization / Department		
	of Central / State Govt. shall		
	not ordinarily exceed 3		
	years which can be		
		I	, and the second s

[भाग III-खपड 4]

extended maximum up to 5
years with the concurrence
of the lending organization.
The maximum age limit for
appointment by deputation
(including short term
contract) shall be not
exceeding 56 years as on the
closing date of the receipt of
applications.)

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF TECHNICAL ASSISTANT

.

1	2	3	4	5	6	7	8
Technical Assistant	1 (2003)* subject to variation dependent on	Group 'C' Non Ministerial	Rs. 5000- 150-8000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	workload.						

9	10	11	12	13	14	
N. A /	N. A .	Deputation (including		N.A.	N.A .	
		short term contract)	term contract) / promotion			Ę
		/promotion				G
			Officers under the			6
			Central/State Governments			크
			/Public Sector			
			Undertakings/Statutory,			
			Semi-Government,			
			Autonomous or other			
			organisations			
			(a) (i) holding analogous			
			posts on regular basis			1 11
			in the parent cadre /			
			department; or			3
			(ii) with 8 years regular			<u>9</u>
			service in the grade			
			rendered after			⊻
			appointment thereto			9
			on regular basis in the			मारत का राजपत्र : असामारण
			scale of pay of			- ²
			Rs.4000-6000 or			
			equivalent in the			
			parent cadre /			
			department; and			
			(b) Possessing the following			
			qualifications /			
			experience :			
			<u>Essential</u>			
			(i) BCA or equivalent			
			Certification of			
			DOEACC			
			(ii) Three years experience			

.

	of hardware and skill	
	of minor repairs of	
	computer system.	
	(The departmental Data	
	Entry Operator possessing	
	the qualifications prescribed	
	above will also be considered	
	and in case he is selected, the	
	post of Technical Assistant	
	shall be deemed to be filled	
	on promotion.)	
	(Period of deputation	
	(including short term	
	contract) including period of	
	deputation (including short	
	term contract) in another ex-	
	cadre post held immediately	
	preceding this appointment	
	in the same or some other	
	organization / Department of	
	Central / State Govt. shall	
	not ordinarily exceed 3 years	
	which can be extended	
	maximum up to 5 years with	
	the concurrence of the	
	lending organization. The	
	maximum age limit for	
	appointment by deputation	
	(including short term	
	contract) shall be not	
	exceeding 56 years as on the	
	closing date of the receipt of	
	applications.)	[
· · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

भारत का राजपत्र : असाधारण

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF STENOGRAPHER GRADE 'C'

]	2	3	4	5	6	7	8
Stenographer Grade 'C'	12 (2003)*	Group 'C' Ministerial	Rs. 5000- 150-8000	Selection – cum – Seniority	N.A.	Between 18 to 27 years	Essential
	subject to						1. Matriculation or
	variation					Note : The	equivalent
	dependent					crucial date	qualification from a
	on					for	recognised Board
	workload.					determining	or University.
						-	2. A speed of 100
						shall be the	
						closing date	
							3. Skill of Data Entry
						applications	and Word
						in India (and	
						not the	computer
						closing date	{Preference will be
						prescribed for	
						those in	knowledge of both
						Assam,	English and Hindi
						Meghalaya,	Stenography)
						Arunachal	 ,
						Pradesh,	
						Nagaland,	
						Tripura,	

4

.

			<u> </u>			Olluliar (
l l		1	,	1		Sikkim,
					,	Ladhakh
			ļ			Division of
	1					State of
	}					Jammu and
	ļ	}			1	Kashmir.
))	ł		ł	Lahul and
						Spiti and
)			Chamba
						districts of
1						Himachal
)			Pradesh,
		1	•			Anadaman
			•			Nicobar
						Istands or
				_		Lakshadweep)

9	10	11	12	13	14
No	2 years for Direct Recruits	failing which by deputation (including short term contract) and	Promotion Stenographers Grade 'D' in NCTE with 8 years regular service in the grade and having a speed of 100 wpm in English / Hindi Stenography.	– Member 3. Under Secretary (Admn./Estt.) –	

•

÷

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

• •		have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the qualifying / eligibility	Member		[মাল]][— জ্বত্ব্ 4]
• •		being considered for promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the	• • •		<u>ਬਾ</u> ਫ 4]
		promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the	- · ,		6 4]
		would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the	- · ·		
		considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the	• • •		
		are not short of qualifying / eligibility service by more than half the	• • •		
		/ eligibility service by more than half the	- ·		
		more than half the	· · ·		
		qualifying / eligibility			
		service or two years,			
		-			
					3
					물
					4
					13
					सि
					भारत का राअपत्र : असाधारण
					3
		service.			11
					1
,					. 11
		short term contract)			
				,	
		-			, II
					, II
		organisations			
		(i) holding analogous			91
		(i) notuing analogous		ļ	11
			whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying / eligibility service. Deputation (including short term contract) Stenographers in the Central/State Govt./ Public Sector Undertakings/Statutory, Semi-Government, Autonomous or other organisations (i) holding analogous	have successfully completed their period of probation for promotion to next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying / eligibility service. Deputation (including short term contract) Stenographers in the Central/State Govt./ Public Sector Undertakings/Statutory, Semi-Government, Autonomous or other organisations	have successfully completed their period of probation for promotion to next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying / eligibility service. Deputation (including short term contract) . Stenographers in the Central/State Govt./ Public Sector Undertakings/Statutory, Semi-Government, Autonomous or other organisations

	posts on regular	21
	basis in the parent	
	cadre / department;	
	or	
	(ii) with 8 years	
	regular service in	
	the grade rendered	
	after appointment	
	thereto on regular	
	basis in the scale	
	of pay of Rs.4000-	
	6000 or equivalent	
	in the parent cadre	
	/ department and	
	having a speed of	
	100 WPM in	
	English/Hindi	
	stenography.	
	(Period of deputation	
	(including short term	
	contract) including period	2
	of deputation (including	
	short term contract) in	
	another ex-cadre post held	
	immediately preceding	
	this appointment in the	
· · ·	same or some other	
	organization / Department	
	of Central / State Govt.	
	shall not ordinarily exceed	
	3 years which can be	
	extended maximum up to	
	5 years with the	
	concurrence of the lending	
l	i concurrence of the lending	

, .

•

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

		RECRUITM	IENT REGULAT	appointmen (including contract) exceeding the closing	age limit for t by deputation short term shall be not 56 years as on g date of the pplications.)	GRAPHER GRAD	ЭЕ ' D'
-l Stenographer	2 6 (2003)*	3 Group 'C'	4 Rs. 4000-	5 N.A.	6 N.A.	7 Between 18 to	8 Essential
Grade 'D'	subject to variation dependent on workload.	Ministerial	100-6000			27 years. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh	 Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University A speed of 80 wpm in English / Hindi Shorthand. Skill of data entry and word processing in Computer. {Preference will be given to persons with knowledge of both English and Hindi Stenography)

[win []]-- ख़ण्ड 4]

भारत की राजपत्र : असाधारण

					Division of State of Jammu and Kashmir. Lahul and Spiti and Chamba districts of Himachal Pradesh, Anadaman Nicobar Islands or Lakshadweep)	
-	9 N.A.	10 2 years	11 By direct recruitment	<u>12</u> N.A.	13 For Confirmation	14 N.A.
×					 For Headquarters Deputy Secretary (A) Chairman Under Secretary (Admn./Estt.) Member One Officer to be nominated by DS (A) 	

J

.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

2. Under Secretary in Regional Committee –
Member 3. One Officer of the rank of US to be
nominated by DS (A) / MS – Member
4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US)- Member

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DATA ENTRY OPERATOR

1	2	3	4	5	6	7	8	1
Date Entry Operator	1 (2003)* subject to	Group 'C' Non Ministerial	R s. 4000- 100-6000	N.A.	N.A.	Between 18 to 27 years.	Essential	 म्
	variation dependent on workload					Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications in India (and not	University	भारत का राजपत्र : असाधारण
						the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland,	per hour for	
						Tripura, Sikkim, Ladhakh	to be judged by	95

ł Ξ í. -

					ines(s) by the etent authority.
9	10	11	12	13	14
N.A.	2 years	Direct recruitment	N.A. *	For Confirmation1. Deputy Secre ary(A) - Chairman2. Under Secretary(Admn./Estt.) -	NA g
			•	Member 3. One Officer of the level of Under Secretary to be nominated by DS(A)	-

	- Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US) - Member
--	---

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF JUNIOR ACCOUNTANT (UDC)

1	2	3	4	5	6	7	8
Junior Accountant (UDC)	5 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Ministerial	Rs. 4000- 100-6000	Selection cum seniority	No	N.A.	N.A.

9	10	11	12	13	14
N.A.	N.A.	(including short term	Lower Division Clerks in the NCTE with eight years	2. Under Secretary	N.A.
		contract)	regular service in the grade.	(Admn./Estt.) -	

117

Note : Where Juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to mext higher grade along with their juniors who have completed such qualifying // digibility service. Deputation (including short) term contract) Officers of the Central / State Gov/Autonomous Bodies / Public Sector Undertakings, Statutory, Semi-Government or othen organisations:-	be A) to
---	----------------

.

٠

٠

÷

•

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

 or (ii) with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 3050-459.0 or equivalent in the parent cadre / department; and (b) Possessing the following qualifications / experience : (i) three years experience of cash, accounts and budget 	
 work; and (ii) facility in use of information and communication technologies such as handling of data base management system. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment 	

				in the same	or some other		
					/ Department		
					State Govt. shall		
					ily exceed 3		
				years which			
				2	ximum up to 5		
					he concurrence		
				of the lendin	g organization.		
				The maximu	m age limit for		
				appointment	by deputation		ĺ
				(including	short term		
				,	hall be not		
				•	years as on the		
				closing date of	of the receipt of		
				applications	`		
	RI	ECRUITMENT	REGULATION	applications.)	I	SION CLERK	
			-	S FOR THE POST O	F LOWER DIVI		
1	2	3	4	S FOR THE POST O	FLOWER DIVI	7	8 5 5
1 Lower	<u> </u>	3 Group 'C'	4 Rs. 3050-75-	S FOR THE POST O	F LOWER DIVI	7 Between 18 to	8 Essential
Division	2 12 (2003)*	3	4 Rs. 3050-75- 3950-80-	S FOR THE POST O	FLOWER DIVI	7	Essential
Division	2 12 (2003)* subject to	3 Group 'C'	4 Rs. 3050-75-	S FOR THE POST O	FLOWER DIVI	Between 18 to 27 years	Essential 1. Matriculation or
	2 12 (2003)* subject to variation	3 Group 'C'	4 Rs. 3050-75- 3950-80-	S FOR THE POST O	FLOWER DIVI	7 Between 18 to 27 years Note : The	Essential 1. Matriculation or equivalent
Division	2 12 (2003)* subject to variation dependent	3 Group 'C'	4 Rs. 3050-75- 3950-80-	S FOR THE POST O	FLOWER DIVI	7Between 18 to27 yearsNote : Thecrucial date for	Essential 1. Matriculation or equivalent qualification from
Division	2 12 (2003)* subject to variation dependent on	3 Group 'C'	4 Rs. 3050-75- 3950-80-	S FOR THE POST O	FLOWER DIVI	7 Between 18 to 27 years Note : The crucial date for deter ining	Essential 1. Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board
Division	2 12 (2003)* subject to variation dependent	3 Group 'C'	4 Rs. 3050-75- 3950-80-	S FOR THE POST O	FLOWER DIVI	7 Between 18 to 27 years Note : The crucial date for deter ining the age limit	Essential 1. Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University.
Division	2 12 (2003)* subject to variation dependent on	3 Group 'C'	4 Rs. 3050-75- 3950-80-	S FOR THE POST O	FLOWER DIVI	7Between 18 to27 yearsNote : Thecrucial date fordeter iningthe age limitshall be the	Essential 1. Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University. 2. A typing speed of
Division	2 12 (2003)* subject to variation dependent on	3 Group 'C'	4 Rs. 3050-75- 3950-80-	S FOR THE POST O	FLOWER DIVI	7 Between 18 to 27 years Note : The crucial date for deter ining the age limit	 Essential 1. Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University. 2. A typing speed of 30 w.p.m. in
Division	2 12 (2003)* subject to variation dependent on	3 Group 'C'	4 Rs. 3050-75- 3950-80-	S FOR THE POST O	FLOWER DIVI	7 Between 18 to 27 years Note : The crucial date for deter ining the age limit shall be the closing date of	 Essential 1. Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University. 2. A typing speed of 30 w.p.m. in English or 25

٠

,

•

.

.

+

Islands or

9	10	11	12	13	14
Age : No Edn. Qualification : Yes	· ·		Promotion Group 'D' employees in NCTE with 5 years regular service in Group 'D' posts and having the educational and other qualification	 Chairman Under Secretary (Admn./Estt.) - 	N.A.

101

······································	
	prescribed for direct 3. One Officer of the
	recruits. rank of US to be
	nominated by DS (A)
	Note : Where Juniors who – Member
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	have completed their 4. Member belonging to
	qualifying service are SC/ST (not below the
	being considered for rank of US)
	promotion, their seniors
	would also have to be
	considered provided they For Regional Committee
	are not short of qualifying /
	eligibility service by more 1. Regional Director -
	than half the qualifying / Chairman
	eligibility service or two 2. Under Secretary in
	years, whichever is less, Regional Committee –
	and have successfully Member
	completed their period of 3. One Officer of the
	probation for promotion to rank of US to be
	next higher grade along nominated by DS (A) /
	with their juniors who have MS – Member
	completed such qualifying 4. Member belonging to
	/ eligibility service. SC/ST (not below the
	rank of US)- Member

.

٠

٠

.

.

भारत का राजपत्र : असाघारण

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DRIVER

1	2	3	4	5	6	7	8
Staff Car Driver	3 (2003)* subject to	Group 'C' Non Ministerial	Rs. 3050-75- 3950-80-	N.A.	N.A.	Between 18 to 27 years	Essential
	variation dependent on workload.		4590	, ,		Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh	motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles).

,

	State of Jammu Home Guard /
	and Kashmir. Civil Volunteers
	Lahul and Spiti
	and Chamba
	districts of
	Himachal
	Pradesh,
	Anadaman
	Nicobar Islands
	or
	Lakshadweep).

9	10	11	12	13	14
N.A.	2 years	Deputation (including	Deputation (including	For Confirmation	N.A.
		short term contract) f	short term contract)/		
		Reemployment /	Absorption	1. Deputy Secretary (A) -	
		absorption failing which	From amongst regular	Chairman	
		by direct recruitment.	Group 'D' employees in	2. Under Secretary	
			NCTE who possess valid	(Admn./Estt.) - Member	
			driving license for motor	3. One Officer of the rank	
			cars.	of US to be nominated	
				by DS (A) – Member	
			For Ex-Servicemen	4. Member belonging to	
			Deputation/	SC/ST (not below the	
			Reemployment	rank of US)	
				– Member	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

104

PART III-SEC. 4)

	The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces : thereafter they may be continued on reemployment.
--	--

[भाग III—खण्ड 4]

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF PEON/FARASH	
---	--

1	2	3	4	5	6	7.	8
Peon/ Farash	18	Group 'D' Non	Rs. 2500-55-	N.A.	N.A.	Between 18 to	Essential
	(2003)*	Ministerial	2660-60-			27 years	
	subject to		3200				Middle School
	variation					Note : The	Standard Pass
	dependent					crucial date for	
	on					determining	Desirable
	workload.					the age limit	
						shall be the	Experience of working
	•					closing date of	
						receipt of	-
]		applications in	
						India (and not	-
						the closing	
						date prescribed	
						for those in	
						Assam,	
					, ,	Meghalaya,	
						Annachal	
						Pradesh,	
						Nagaland,	
						Tripura,	
						Sikkim,	

٢,

42

•

.

...

				Ladhakh Division of State of Jammu and Kashmir. Lahul and Spiti and Chamba districts of Himachal Pradesh, Anadaman Nicobar Islands or Lakshadweep).	
9	10		<u> </u>	13	14
N.A.	2 years	By Direct recruitment.	N.A.	For ConfirmationFor Hq.1. Deputy Secretary (A) - Chairman2. Under Secretary (Admn/Estt.) - Member3. One Officer of the rank of US to be nominated by DS(A)	N.A.

.

		- Member <u>4.</u> Member belonging to
		SC/ST (not below the rank of US)
		Member
		For Regional Committee
		1. Regional Director –
		Chairman
		2. Under Secretary in Regional Committee
		– Member
		3. One Officer of the
		rank of US to be nominated by DS(A)/
		MS – Member
		4. Member belonging to
		SC/ST (not below the
		rank of US) Member
<u> </u>	<u> </u>	

-

-

P

١

.

-

.

€

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF CHOWKIDAR

1	2	3	4	5	6	7	8
Chowkidar	8 (2003)*	Group 'D' Non	Rs. 2500-55-	N.A.	N.A.	Between 18 to	Essential
	subject to	Ministerial	2660-60-3200			27 years	
	variation						Middle School Standard
1	dependent					Note : The	Pass
	on					crucial date for	
	workload.					determining	<u>Desirable</u>
						the age limit	
						shall be the	
						closing date of	'Refresher' Courses in
						receipt of	
						applications in	Defence.
						India (and not	
						the closing	
						date prescribed	
						for those in	
						Assam,	
						Meghalaya,	
						Arunac hal	
						Pradesh,	
						Nagaland,	
						Tripura,	
						Sikkim,	

				Ladhakh Division of State of Jammu and Kashmir. Lahul and Spiti and Chamba districts of Himachał Pradesh, Anadaman Nicobar Islands or Lakshadweep).	
.9	10	11	12	13	
N.A.	2 years	j * *	N.A.	For Contirnation	14

.

٠

هر

r

4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US) – Member
For Regional Committee
 Regional Director – Chairman Under Secretary in Regional Committee – Member One Officer of the rank of US to be nominated by DS (A) / MS – Member Member belonging to SC/ST (not below the rank of US)- Member

E